VISIONIAS™

www.visionias.in

समसामयिकी

जून - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. वैश्विक विधि-शासन सूचकांक (ग्लोबल रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स)
4. मंजूरी का अधिकार: तेलंगाना सरकार की एक नई पहल
5. योग या सूर्यनमस्कार की अनिवार्यता: क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है?
5. केरल उच्च न्यायालय – सिर्फ माओवादी होना गैरकानूनी नहीं है
6. वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index) 2015
6. रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट
7. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 में संशोधन की जरूरत
7. ग्रीन हाउस गैस: भारत चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक
8. आंध्र प्रदेश सरकार कृषि कैबिनेट की स्थापना करेगी
8. भारत मानक ब्यूरो 2015 विधेयक
9. भारत में दलहन का बढ़ता उत्पादन

सामाजिक मुद्दे

10. भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी का हेल्थ-फोन कार्यक्रम
10. जल क्रांति अभियान
10. नई उद्यमिता योजना: मौजूदा प्रणाली से अलग
11. सरकार ने दिल्ली का "विरासत शहर" का नामांकन वापस लिया
12. सभी के लिए आवास - मलिन बस्तियों से पड़ोसी तक वाला दृष्टिकोण
12. 'पूर्व शिक्षा को मान्यता' की योजना
13. मनरेगा के तहत काम करने के दिनों की संख्या मे वृद्धि
13. भारत के महानतम वास्तुकार - चार्ल्स कोरिया
13. दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन
14. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011

सुरक्षा

16. मणिपुर में आतंकवादी हमला
16. समुद्री निगरानी के लिए सेशेल्स में आई.एन.एस. तेग
16. स्वचालित पहचान प्रणाली (स्वामित्व) ट्रांसपोंडर
16. उपग्रह संचार गेटवे

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

18. भारत जुलाई में पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन का परीक्षण करेगा: इसरो
18. साकार (Sakaar)
18. ऑग्मेंटेड रियल्टी (संवर्धित वास्तविकता) प्रौद्योगिकी
18. विश्व का सबसे पतला प्रकाश बल्ब बनाया गया
19. ग्रिड संबद्ध 2000 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजना का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन
19. भारत में पेटेंट पर सरकार की वार्षिक रिपोर्ट
19. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.)
20. फिले (Philae)
20. लापता बच्चों का पता लगाने के लिए खोया-पाया वेब पोर्टल का शुभारंभ
21. सी.एस.आई.आर. पवित्र तुलसी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण में सफल
21. दो वर्ष के उन्नयन कार्य के बाद लार्ज हेड्रोन कोलाइडर द्वारा प्रयोग पुन: आरम्भ
21. डार्क मैटर क्या है?
21. वर्जिन बर्थ (पर्थिओजेनेसिस)
22. स्मालटूथ सॉफिश
22. आई.एन.एस. विक्रान्त

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

23. डंडेली हाथी अभयारण्य
23. भारत के स्तनधारी जानवर
23. विश्व पर्यावरण दिवस
23. कोंकण रेलवे की पर्यावरण अनुकूल पहल
24. शिकार के फलस्वरूप सॉगबर्ड संकट में
25. फसलों को हानि पहुँचाने वाले पशु
25. अशोबा चक्रवात
25. महाराष्ट्र ने 'ब्लू मोरमोन' को राजकीय-तितली घोषित किया
25. अरुणाचल प्रदेश का राज्य मृदा स्वास्थ्य मिशन

अर्थव्यवस्था

27. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को चिट फंडों में निवेश करने की अनुमति दी

VISION IAS

27. इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल का शुभारंभ
28. पत्तनों तक संपर्क सुधार हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस. पी.वी.)
29. सागरमाला
31. खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन से भारत को स्थायी समाधान चाहिए
32. सड़कों के वित्तपोषण हेतु नवीन प्रतिमान:

अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

34. राष्ट्रपति की स्वीडन यात्रा
34. राष्ट्रपति की बेलारूस यात्रा:
34. भारत और यू.एस. के बीच नयी 10 वर्षीय रक्षा प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर:
34. प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा:
36. ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम
36. कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान हेतु समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर
37. मोटर वाहन समझौता (MVA)
37. तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा
37. आंतकी वित्तीयन को रोकने में भारत असफल रहा है : अमेरिका
38. वर्ष 2014 में ब्रिटेन के लिए भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत
38. भारत और थाईलैंड
38. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगि- की समझौता
38. वर्ष 2014 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य के रूप में दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख स्थान
38. भारत द्वारा नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

40. श्रीलंका में 19वां संविधान संशोधन पारित
40. रूस को इस वर्ष 40 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त होंगी
40. रेशम मार्ग 2015
40. भारत समेत 50 देशों द्वारा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट- मेंट बैंक समझौते पर हस्ताक्षर

अन्य ख़बरें

42. के.वी. चौधरी नए मुख्य सतर्कता आयुक्त और विजय शर्मा नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगें
42. ललित मोदी को इंटरपोल का ब्लू कार्नर नोटिस
43. मौसम की चेतावनी सूचना सेवा 'नाउ कास्ट'
43. भुवन गंगा मोबाइल एप तथा वेब पोर्टल
43. चीन द्वारा पहला इलेक्ट्रिक प्लेन (बी.एक्स.1ई.) विकसित किया गया
43. कैलाश-मानसरोवर के लिए दूसरा मार्ग

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class: I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

वैश्विक विधि-शासन सूचकांक (ग्लोबल रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स)

- वैश्विक विधि-शासन सूचकांक 2015, अमेरिका के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा 102 देशों के लिए जारी किया गया है।

India

Mumbai, Delhi, Bangalore

Region: South Asia | Income group: Lower middle income

Overall Score	Regional Rank	Income Rank	Global Rank
0.51	3/6	10/25	59/102

	Factor Trend	Factor Score	Regional Rank	Income Rank	Global Rank
Constraints on Government Powers	—	0.62	2/6	5/25	38/102
Absence of Corruption	—	0.4	2/6	11/25	68/102
Open Government	—	0.57	1/6	3/25	37/102
Fundamental Rights	—	0.54	2/6	9/25	61/102
Order and Security	▲	0.58	4/6	20/25	90/102
Regulatory Enforcement	—	0.45	3/6	12/25	69/102
Civil Justice	—	0.42	3/6	19/25	88/102
Criminal Justice	—	0.47	1/6	4/25	44/102

▲ Trending up ▼ Trending down Low Medium High

- सूचकांक के अनुसार 102 देशों की सूची में भारत का स्थान 59वां है। भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 6 देशों में तीसरे स्थान पर है और निम्न-मध्यम आय वाले 25 देशों के बीच 10वें स्थान पर है। सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क है और दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष पर नेपाल है।
- भारत एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के मामले में दुनिया में शीर्ष 50 देशों में शामिल है। सर्वेक्षण में यह विश्लेषण किया गया है कि देश की आपराधिक जांच और न्याय निर्णयन प्रणाली प्रभावी है या नहीं, यह निष्पक्ष और भ्रष्टाचार से मुक्त है या नहीं और आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं।
- हालांकि, अध्ययन में यह पाया गया कि नागरिक न्याय के मामले में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। इसके विपरीत, सूचकांक में नागरिक न्याय में भारत का स्थान 88वां है। निम्न-मध्यम आय वाले देशों में भारत का स्थान 19वां है और दक्षिण एशिया में भारत तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण ने नागरिक न्याय की उपलब्धता पर ध्यान दिया जिसमें सामान्य जागरूकता, कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व की उपलब्धता, वहनीय क्षमता, अत्यधिक या अनुचित फीस और बाधाओं की अनुपस्थिति शामिल है।
- खुली सरकार (ओपन गवर्नमेंट) की श्रेणी में भारत का प्रदर्शन अच्छा है। वैश्विक स्तर पर भारत 37वें स्थान पर है और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के बीच यह तीसरे स्थान पर है। खुली सरकार सूचकांक सरकार के खुलेपन को मापने के लिए चार आयामों का उपयोग करता है - सूचना का अधिकार, नागरिक भागीदारी, शिकायत तंत्र एवं प्रकाशित कानून और सरकारी आंकड़े।
- हालांकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा की श्रेणी में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इसमें वैश्विक स्तर पर भारत 90वें स्थान पर है, निम्न-मध्यम आय वाले देशों के बीच 20वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर है। इस श्रेणी के सूचकांक के लिए निम्नलिखित मानकों का इस्तेमाल किया जाता है –

अपराध की अनुपस्थिति।

- आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष सहित नागरिक संघर्ष की अनुपस्थिति।
- व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण करने के लिए हिंसा का अभाव।
- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट दुनिया भर में कानून के शासन को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। यह एक स्वतंत्र और बहु-विषयक संगठन है। विधि का शासन अवसर और निष्पक्षता के समूहों को आधार प्रदान करता है। ये वे समूह हैं जो सतत् आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान और जवाबदेह सरकार के लिए प्रयास करते हैं।

विधि-शासन सूचकांक (Rule of Law Index)

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का विधि-शासन सूचकांक एक मात्रात्मक आकलन उपकरण है जो विभिन्न देशों में कानून के शासन के पालन की एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर पेश करता है। यह सूचकांक विधि-शासन के आठ आयामों पर नए आंकड़े प्रदान करता है: (1) सरकार की सीमित शक्तियां; (2) भ्रष्टाचार का अभाव; (3) कानून व्यवस्था और सुरक्षा; (4) मौलिक अधिकार; (5) खुली सरकार; (6) विनियामक प्रवर्तन; (7) नागरिक न्याय; (8) आपराधिक न्याय। इन कारकों को 52 उप कारकों में विभाजित किया गया है। एक साथ वे विधि-शासन के अनुपालन के लिए एक व्यापक तस्वीर पेश करते हैं।

मंजूरी का अधिकार: तेलंगाना सरकार की एक नई पहल

- व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक अद्वितीय और स्वागत योग्य मंजूरी का अधिकार नीति (Right to Clearance policy) की घोषणा की है।
- सूचना के अधिकार के समान ही मंजूरी के अधिकार के अंतर्गत यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यवसायों को यह जानने का अधिकार है कि प्रस्तावित परियोजना में देरी क्यों की जा रही है और साथ ही उन्हें अनावश्यक विलंब के लिए निवारण की मांग करने का भी अधिकार है।

प्रावधान:

- 200 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी के

VISION IAS

लिए 15 दिन की समय सीमा और छोटी परियोजनाओं के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित की गयी हैं।

- परियोजना को मंजूरी देने में देरी होने पर अधिकारियों पर प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देय होगा।
- प्रस्ताव के अटक जाने पर व्यवसायों को सही कारण पता करने का अधिकार है।

'मंजूरी का अधिकार' नीति से लाभ

- मंजूरी का अधिकार और इस तरह की अन्य सुविधाएँ जैसे एकल खिड़की मंजूरी, स्वत: नवीकरण और स्व-प्रमाणन से एक ऐसा तंत्र बनेगा जिससे राज्य में व्यापार करना आसान होगा।
- इससे मंजूरी में देरी के कारण होने वाले अवसर लागत (opportunity costs) में भी कमी आएगी। इस तरह की लागत और समय न सिर्फ उद्योगों बल्कि ऋण संस्थानों की व्यवहार्यता पर असर डालते हैं।
- यह लॉबी और बिचौलियों को दूर करके एक "भ्रष्टाचार मुक्त और परेशानी मुक्त प्रणाली" के प्रति उद्योग को आश्वस्त करेगा। इस तरह के कदम नौकरशाही की जड़ता को खत्म करने में मदद करेंगे और यह प्रणाली में तात्कालिकता और जिम्मेदारी की भावना लाएगा।
- यह कदम न सिर्फ उद्योगों को सशक्त बनाता है बल्कि अड़चनों को भी दूर करता है। अन्य राज्यों को भी निवेश के लिए बढ़ती अंतर-राज्य प्रतियोगिता के बीच खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लाने पड़ेंगे।

योग या सूर्यनमस्कार की अनिवार्यता: क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है?

सन् 1987 के बिजोए एम्मानुएल मामले में भारतीय उच्चतम न्यायलय ने कहा था कि राष्ट्रगान का अनिवार्य गायन उन लोगों पर नहीं थोपा जा सकता, जो मानते हैं कि यह उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि अगर कोई भी धार्मिक आस्था सही मायने में और निष्ठापूर्वक संघटित होती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है।

योग और सूर्यनमस्कार विवाद पर न्याय, इन न्यायिक घोषणाओं के प्रकाश में किया जाना चाहिए।

- संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार "सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने का समान अधिकार है"।
- अनुच्छेद 28 के अनुसार "राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की जाने वाली, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है और अगर वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति न दे दी हो"।
- अनुच्छेद 51 (क) के तहत एक नागरिक का पहला मौलिक कर्तव्य है - "संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 अब तक केवल तीन चीजों को राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के रूप में मान्यता देता है - संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान। इनका अपमान करने पर दंड का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजानिक रूप से भारत के राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरुपित करता है, नष्ट करता है कुचलता है उसके प्रति अनादर प्रकट करता है (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) या अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा"। धारा 3 के अनुसार राष्ट्रगान को गाने से रोकने या व्यवधान पैदा करने पर दंड का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने बिजोए एम्मानुएल मामले में निर्णय संविधान के इन प्रावधानों और 1971 के अधिनियम के अनुसार दिया था।
- भारत की कोई भी परंपरा जो भले ही कितनी भी ऐतिहासिक या फायदेमंद हो, या कोई धार्मिक प्रथा जो कितनी भी व्यापक रूप से प्रचलित हो, उसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान की तुलना में ऊपर नहीं रखा जा सकता। उन्हें अनुच्छेद 25 और 28 के प्रावधानों का उल्लंघन करके अनिच्छुक व्यक्तियों या समुदायों पर थोपा नहीं जा सकता। अगर सरकारी अधिकारी ऐसा करते हैं तो न्यायाधीश जैक्सन के शब्दों में यह "उनकी शक्ति पर लगायी गयी संवैधानिक पाबन्दी को पार कर जाती है"। और जो इन्हें अनिवार्य बनाने की मांग कर रहे हैं वे 1971 के अधिनियम का अक्षरश: उल्लंघन कर रहे हैं जिसके अनुसार संविधान की अवमानना एक अपराध है। जो लोग इस तरह की परंपराओं का पालन नहीं करना चाहते उनके अधिकार संविधान और न्यायिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं। देशभक्ति की परीक्षा और वास्तविक धार्मिक विश्वासों के बीच का चुनाव नागरिकों के विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए।
- बिजोए एम्मानुएल मामले के अनुसार, "संविधान का अनुच्छेद 25 विश्वास का अनुच्छेद है जिसे संविधान में इस सिद्धांत की मान्यता में शामिल किया गया है कि एक सच्चे लोकतंत्र की असली परीक्षा यह है कि हर अल्पसंख्यक समुदाय में देश के संविधान के तहत अपनी पहचान को खोजने की क्षमता होनी चाहिए।" न तो देश के शासक और न ही दक्षिण-पंथी नागरिक सच्चे लोकतंत्र की इस असली परीक्षा की अनदेखी कर सकते हैं।

केरल उच्च न्यायालय – सिर्फ माओवादी होना गैरकानूनी नहीं है

- केरल उच्च न्यायालय ने श्याम बालाकृष्णन नाम के एक व्यक्ति को यह कह कर रिहा कर दिया कि माओवादी होना कोई अपराध नहीं है। श्याम बालाकृष्णन को वर्ष 2014 में माओवादी होने के संदेह पर पकड़ा गया था। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि

माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा भारत की संवैधानिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, पर एक व्यक्ति पर माओवादी होने का मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि उसने इस विचारधारा का पालन करते हुए कानून के विरुद्ध कुछ काम किया है।

- यह पहली बार नहीं है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जैसी एक प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा के पालन का सवाल अदालत के समक्ष आया है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने पहले भी एक विशेष विचारधारा और उसके अनुसार काम करने के बीच अंतर स्पष्ट किया है।
- वर्ष 2011 में केरल सरकार ने डॉ रनीफ नामक एक व्यक्ति की जमानत को चुनौती दी थी, जिसे पुलिस ने एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने का आरोप लगाकर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उच्चतम न्यायलय ने "सम्बन्ध से अपराध" (guilt by association) के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था।
- वर्ष 2011 में ही, उच्चतम न्यायलय ने अरूप भुयान और इंद्र दास की सजा टाल दी थी। दोनों को उल्फा के सदस्य होने के लिए टाडा के तहत दोषी करार दिया गया था। उच्चतम न्यायलय ने कहा था कि एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वह हिंसा न करे या दूसरों को हिंसा के लिए न उकसाये, या कुछ ऐसा करे जिससे सार्वजनिक अशांति पैदा हो।
- इसी वर्ष गुजरात उच्च न्यायालय ने भाकपा (माओवादी) पार्टी के साथ काम करने वाले जनशक्ति संगठन के पांच सदस्यों को जमानत दी। सूरत पुलिस को उनके पास से भाकपा (माओवादी) के गुरिल्ला युद्ध पर दस्तावेज, एक बैठक का एजेंडा और क्रांति पर कुछ साहित्य मिला था। अदालत ने माना कि सिर्फ इन चीजों के रखने भर से कोई अपराधी नहीं बन जाता, जब तक वह उनके विचारों का वास्तविक क्रियान्वयन न करे।
- अप्रैल 2011 में बिनायक सेन को जमानत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता माओवादियों का हमदर्द हो सकता है और उसके पास उनकी विचारधारा की सामग्री हो सकती है पर मात्र इससे वह राजद्रोह का दोषी नहीं बन जाता। न्यायालय ने यह माना है कि राज्य सरकार यह साबित नहीं कर पाई की बिनायक सेन ने नक्सलियों की विचारधारा प्रचारित की या उनके साथ काम किया। नारायण सान्याल जैसे कट्टर नक्सली से जेल में मिलना भी बिनायक सेन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- इसलिए दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए एक प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य होना जरुरी है। केरल उच्च न्यायालय का फैसला इस समझ के साथ पूरी तरह से सही बैठता है।

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index) 2015

- वैश्विक शांति सूचकांक 2015, 162 देशों के लिए अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (Institute for Economics and Peace) द्वारा जारी किया गया है। यह सैन्य खर्च, हत्या दर, संघर्ष मृत्यु, सविनय अवज्ञा और आतंकवाद आदि जैसे 22 संकेतकों पर आधारित है।
- अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के अनुसार, पिछले 7 वर्षों में दुनिया के सभी देशों के लिए वैश्विक शांति सूचकांक का औसत 1.96 से 2.06 आ गया है। यह एक कम शांतिपूर्ण दुनिया का संकेत है।
- वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 143वां है और भारत, भूटान (18), नेपाल (62), श्रीलंका (114) और बांग्लादेश (84) से भी पीछे है। पाकिस्तान 154वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 160वें स्थान पर है।

कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार माओवादी आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है।
- साथ ही पड़ोसी देशों के साथ छिटपुट संघर्ष भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा है।
- हाल ही में तेलंगाना राज्य के बनने से कई इलाकों में जातीय संघर्ष हुए जिससे राजनीतिक आतंक संकेतक में भारत के आंकड़े खराब हुए।
- वर्ष 2013 मे भारत में जिस प्रकार की हिंसा विद्यमान थी, उससे निपटने और उसके प्रभावों को कम करने की अनुमानित आर्थिक लागत 177 अरब डॉलर थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जी.डी.पी. के 3.6% के बराबर है।
- आइसलैंड दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरा है। शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 6 यूरोपीय देश हैं। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। अमेरिका (94) का स्थान बहुत नीचे है क्योंकि सैन्यीकरण, हत्या और हिंसा के भय के मामले में उसके आंकड़े खराब हैं। चीन 124वें स्थान पर है।
- सीरिया और इराक, जहाँ इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन ने देश के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, जो सूचकांक में सबसे नीचे हैं। दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यूक्रेन और मिस्र में भी सुरक्षा के स्तर में तीव्र गिरावट हो रही है।

रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट

भारतीय रेल के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट ने एक पांच साल का रोडमैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य रेल बजट को खत्म करना, एक सांविधिक रेल नियामक विकसित करना और रेलवे को निजी क्षेत्र के लिए खोलना है।

- समिति की सिफारिशें तीन स्तंभों पर आधारित हैं: वाणिज्यिक लेखा, मानव संसाधन के क्षेत्र में परिवर्तन और एक स्वतंत्र नियामक।
- रिपोर्ट में एक ऐसे रेल मंत्रालय के सृजन की परिकल्पना की गई है जिसमें कम से कम तीन सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिकारी रेलवे बोर्ड से जुड़े नहीं रहेंगे। ये मंत्रालय सिर्फ रेलवे के

लिए नहीं बल्कि रेल क्षेत्र के लिए नीति बनाएगा, जिससे रेल क्षेत्र में निजी प्रवेश और निजी निवेश प्रोत्साहित होगा और प्रतियोगिता सुनिश्चित होगी।

- रिपोर्ट में एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक रेलवे नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है जो रेलवे के नवीनीकरण के लिए जरूरी है। यह नियामक तकनीकी मानक निश्चित करेगा, भाड़ा दर निश्चित करेगा और विवादों को हल करेगा। नियामक किराया संशोधन की सिफारिश करेगा, लेकिन यह रेल मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं रहेगा।
- नियामक मंत्रालय द्वारा तैयार किए नीति के तहत काम करेगा जबकि मौजूदा रेलवे बोर्ड भारतीय सरकार के रेलवे का बोर्ड हो जाएगा। बोर्ड को मौजूदा सात सचिव स्तर के अधिकारियों से केवल 5 सचिव स्तर के अधिकारियों का किया जा सकता है।
- 5 साल के बाद रेल बजट समाप्त हो जाना चाहिए और सरकार को सब्सिडी के माध्यम से रेल्वे द्वारा वहन किये जाने वाले सामाजिक लागत का पूरा बोझ उठाना चाहिए।
- पहले 5 वर्षों में प्रारंभिक कार्य देखे जायेंगे: दो साल में एक व्यावसायिक लेखा प्रणाली की तरफ जाना (सामाजिक लागत के बोझ से बाहर निकालने के लिए), सभी नए मानव संसाधनों के लिए समान प्रेरण प्रणाली, और महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधक और स्टेशन प्रबंधक को शक्तियों का हस्तांतरण।
- समिति ने रेलवे ट्रैक निर्माण, ट्रेन संचालन, और रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयों को विभिन्न संस्थाओं के तहत अलग-अलग करने की सिफारिश की है।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेल से अलग करके स्वायत्ता प्रदान कर देनी चाहिए। इससे भारतीय रेल और निजी ऑपरेटरों में भेदभाव नहीं होगा। समिति ने भारतीय रेलवे के निजीकरण की सिफारिश नहीं की है। लेकिन समिति ने एक स्वतंत्र नियामक के प्रावधान के साथ रेल परिवहन में निजी क्षेत्रक प्रवेश का समर्थन किया है। समिति ने वाणिज्यिक लेखा की सिफारिश की है जिसके बिना परियोजनाओं पर प्रतिफल दर जानना मुश्किल है।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 में संशोधन की जरूरत

भारत की सुंदरता, इतिहास और सांस्कृतिक पुरातत्व को कलाकृतियों और पुरावशेषों में देखा जा सकता है। ये हमारे अतीत के झरोखे हैं। यद्यपि, इन पुरावशेषों की अवैध तस्करी के मुद्दे को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम, 1972 में समस्याएं

- इसे तब अधिनियमित किया गया था जब पूँजी, प्रतिभा, पैसा और संपत्ति (कला और पुरावशेष सहित) देश से बाहर जा रहे थे।
- यह अधिनियम भारतीय पुरावशेषों और उनके संकलनकर्ताओं को भारत छोड़ने से रोकने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसा था। एक बोझिल पंजीकरण की प्रक्रिया को ऐसी वस्तुओं का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करने के लिए बनाया गया था।
- इसके अलावा अधिनियम की कानूनी परिभाषा भी इतनी व्यापक है कि 100 वर्षों से अधिक पुरानी कोई भी वस्तु स्वत: ही पुरावस्तु बन जाती है।
- निजी संग्रहकर्ताओं पर छापा मारने तथा उन पर मुकदमा चलाने हेतु यह अधिनियम सरकार को कई बेबुनियादी आधार भी प्रदान करता है, जैसे "वस्तु की अपर्याप्त रखरखाव"। इस तरह के प्रावधानों की वजह से लोगों ने अपने पुरावशेषों का पंजीकरण नहीं करवाया।

अधिनियम में संशोधन

इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता को स्वीकारते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने हाल ही में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा है।

- भारत में 100 वर्षों से अधिक पुराना कुछ भी पुरावशेष अधिनियम के तहत आता है। जरुरत तो एक खुले बाजार की है। भारत को सबसे पहले मूलभूत शासन के आधुनिकीकरण पर काम करने की जरूरत है। लोगों को अपने पुरावशेषों के पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरुरत है और साथ ही उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उन्हें परेशान नहीं करेगी। एक ई-पंजीकरण प्रक्रिया अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी एवं हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।
- परिभाषा ने व्याख्या के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी हुई है, जिससे ए.एस.आई. अधिकारी अनभिज्ञ व अदूरदर्शी निर्णय ले लेते हैं। इसलिए परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- देश के भीतर पुरावशेषों की मुक्त गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011 में आर. एन. मिश्रा की अध्यक्षता में एक औपचारिक समिति बनाई गयी थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुल मुद्द्गल की अध्यक्षता में एक अन्य समिति बनाई गई जिसने वर्ष 2012 में संभावित संशोधन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- जरुरत है तो इन इन सिफारिशों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। विवाद का एक और मुद्दा अधिनियम के अमल से संबंधित है।
- इस क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशेषज्ञता की कमी को एक प्रमुख प्रणालीगत दोष होना माना गया है। विशेषज्ञों का एक बड़ा और समर्पित समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए जरूरी है।

ग्रीन हाउस गैस: भारत चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक

एक ओर जहाँ वैश्विक समुदाय एक आगामी 'पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन' के लिए तैयारी कर रहा है, वही दूसरी ओर विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) ने प्रत्येक देश योगदान के अनुसार जलवायु के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के

VISION IAS

उत्सर्जन का अपना ताजा विश्लेषण पेश किया है।

- शीर्ष 10 उत्सर्जक में से 6 विकासशील देश है।
- चीन वैश्विक उत्सर्जन का 25% उत्सर्जन करता है और उसका पहला स्थान है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ के क्रमशः दूसरे और तीसरे बड़े उत्सर्जक हैं।
- चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक होने के बावजूद भारत, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में अन्य तीन शीर्ष बड़े उत्सर्जकों से बहुत पीछे है।
- आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 10 उत्सर्जक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 72% से अधिक योगदान करते हैं। दूसरी ओर, सबसे कम 100 उत्सर्जक देश 3% से कम का योगदान करते हैं। यह समान परन्तु विभेदक उत्तरदायित्व (Common But Differentiated Responsibility) की मांग को जो जायज बनाता है क्योंकि विकसित देशों के पास ऐसा करने के लिए विभिन्न क्षमतायें हैं।

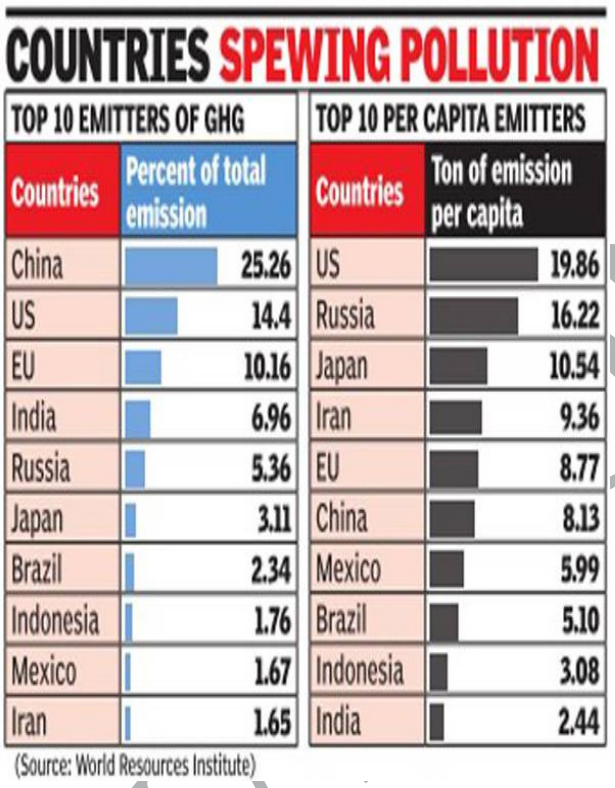

- इससे पता चलता है कि ऊर्जा क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। यह वैश्विक उत्सर्जन में 75% से अधिक का योगदान देता है। इसलिए 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में तेज परिवर्तन की जरुरत है जिससे जलवायु परिवर्तन के खराब प्रभावों से बचा जा सके।
- विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि अलग-अलग देश में अलग-अलग स्रोत शीर्ष उत्सर्जक हैं। चीन का औद्योगिक उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का 3% है और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन में कृषि की एक उल्लेखनीय हिस्सेदारी है। इसलिए देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से शमन नीति के विकल्प का चयन करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार कृषि कैबिनेट की स्थापना करेगी

- आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषि पर अधिक जोर देने के लिए एक 'कृषि कैबिनेट' का गठन करने के लिए अपनी योजना का खुलासा किया हैं। यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह होगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश के बाद कृषि कैबिनेट बनाने वाला तीसरा राज्य बन जायेगा।
- राज्य ने वर्ष 2015-16 में देश में सबसे पहले कृषि के लिए विशेष रूप से एक अलग बजट प्रस्तुत किया। कृषि कैबिनेट की बैठक हर महीने होगी और यह कृषि क्षेत्र के लिए धन के प्रवाह और इससे सम्बंधित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेगा। कृषि कैबिनेट खेती को एक लाभदायक व्यापार सुनिश्चित करके ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए भी काम करेगा।
- आंध्रप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 65% लोग जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और उनके लिए सरकार ने राज्य और जिला ऋण योजना तैयार की है।

भारत मानक ब्यूरो 2015 विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. भारतीय मानक ब्यूरो को नेशनल स्टैण्डर्ड बॉडी ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करना।

ii. यह ब्यूरो एक गवर्निंग काउंसिल (शासीय-परिषद) के माध्यम से अपने कार्य करेगा जिसमें एक अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्य होंगे।

iii. मानकीकरण के तहत सामग्री और प्रक्रियाओं के अलावा वस्तु, सेवाओं और प्रणालियों को शामिल करना।

iv. स्वास्थ्य, अहानिकारकता पर्यावरण, सुरक्षा, भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम की दृष्टि से आवश्यक सामग्री, प्रक्रिया या सेवा को अनिवार्य प्रमाणीकरण व्यवस्था पद्धति के अंतर्गत लाने के लिए सरकार को सक्षम करना। इससे घटिया उत्पादों के आयात की रोकथाम में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को आई.एस.आई. प्रमाणित उत्पाद उपलब्ध होंगे।

v. किसी भी मानक के लिए अनुरूपता की स्व घोषणा जैसे कई सरलीकृत अनुरूपता निर्धारण विकल्प प्रदान करना, जिससे निर्माताओं को कई सरल विकल्प मिलेंगे और व्यापार करना आसान होगा।

vi. उत्पादों व सेवाओं के अनुरूपता के मानक को सत्यापित

करने तथा अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु केंद्र सरकार को भारतीय मानक ब्यूरो के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत करता है।

vii. कीमती धातु से बनी चीजों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए सरकार को सक्षम करना।

viii. बेहतर और प्रभावी अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत बनाना।

ix. ऐसे उत्पादों को बाजार से हटाना जिनपर मानक मार्क तो है पर जो प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप न हों।

x. 1986 के भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम का निरसन।

नए बिल के फायदे

- नए विधेयक के प्रावधान भारतीय मानकों के अनुपालन के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो को सशक्त बनाएंगें।
- इससे भारतीय मानकों के प्रवर्तन में सुधार की भी उम्मीद है।

इस प्रकार प्रस्तावित प्रावधान मानकीकरण की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण को बढ़ावा देंगे। साथ ही कीमती धातु से बनी चीजों के अनिवार्य हॉलमार्किंग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह अनुरूपता मूल्यांकन के दायरे को बढ़ाएगा और कानून के पालन न होने पर अपराध को दंडनीय बनाएगा।

भारत में दलहन का बढ़ता उत्पादन

- भारत में दलहन करीब 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती है जिसमें से सिर्फ 16% भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती है। दलहन का वार्षिक उत्पादन 18-20 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है। दालों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है और इसके पौधे नाइट्रोजन योगिकीकरण भी करते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं होती। भारत 43 मिलियन हेक्टेयर भूमि से, जिसमे से लगभग 60% सिंचित है, करीब 101 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है। चावल के मामले में प्रमुख मुद्दा यह है कि इसे सिंचाई के लिए पानी अधिक चाहिए होता है। इसके अलावा सिंचाई का करीब 40-50% पानी नाइट्रेट की काफी ज्यादा मात्रा के साथ भूजल मे प्रवेश कर जाता है जिससे पीने योग्य पानी प्रदूषित होता है। इस भूजल को रियायती बिजली के माध्यम से फिर से ऊपर लाया जाता है।

दालों से ज्यादा अनाज को वरीयता के कारण

- किसान अनाज को ज्यादा वरीयता देते हैं क्योंकि दालें सबसे कम उत्पादक फसलें हैं। दालों की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 760 किलोग्राम है, जबकि अनाज के लिए यह 2,400 किलोग्राम और तिलहन के लिए 1,100 किलोग्राम है। दलहन में कम उत्पादकता के कारण हैं:
- इतने वर्षों की कोशिश के बावजूद, इतना अनुसंधान एवं विकास भी दलहन की उत्पादकता में कोई खास वृद्धि नहीं कर पाया है। जबकि इसके विपरीत अनाज की पैदावार में काफी वृद्धि देखी गयी है।
- किसान निम्न अनुर्वर भूमि पर दालें उगा रहे हैं।
- एक तरफ कम उत्पादकता और दूसरी तरफ अपेक्षाकृत कम न्यूनतम समर्थम मूल्य से किसान दलहन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए वर्ष 2014-15 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में दलहन की आपूर्ति का 5वा हिस्सा आयात किया जाता है।
- इसके अलावा धान / चावल की खरीद के लिए एक सरकारी व्यवस्था है, जिससे किसान का जोखिम कम हो जाता है। इसके विपरीत, दलहन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसे आयात सब्सिडी का लाभ मिलता है। अधिकांश दलहन के निर्यात पर प्रतिबंध है जबकि आयात शून्य शुल्क पर होता है। जबकि चावल पर 70% आयात शुल्क लगता है।

नीति में बदलाव की जरुरत है ताकि किसानों को प्रोत्साहन के मामले में चावल और दलहन से समान व्यवहार हो। सरकार को दलहन की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए:

- चावल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य नहीं तो 5-10% तक कर देना चाहिए इससे चावल व्यापार सही मायने में खुला माना जायेगा।
- निजी क्षेत्र के संगठित उद्योग / खुदरा समूहों या एफसीआई द्वारा किसान समूहों से दालों की सीधी खरीद को गोदाम रसीद प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।
- अच्छी तकनीक के माध्यम से एक हद तक दलहन की पैदावार में वृद्धि की जा सकती है लेकिन अधिक से अधिक दलहन क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाकर ही दालों की पैदावार को संतोषजनक स्तर तक स्थिर करने में मदद मिल सकती है। एक ऐसी नीति की जरुरत है जो दलहन उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करे, विशेषत: पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में जहाँ भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है।

सामाजिक मुद्दे

भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी का हेल्थ-फोन कार्यक्रम

- हेल्थ-फोन कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यूनिसेफ और वोडाफोन इंडिया की साझेदारी में भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी द्वारा शुरू किया गया है।
- यह हेल्थ-फोन कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के समाधान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जन शिक्षा कार्यक्रम है।
- यह हेल्थ-फोन कार्यक्रम एक सार्वजनिक भागीदारी पहल है जो देश में मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ का फायदा उठाकर 13 से 35 वर्ष की उम्र की 6 लाख से अधिक लड़कियों और महिलाओं तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के तरीकों पर शिक्षित करेगा।
- यह कार्यक्रम पोषण वीडियो श्रृंखला के 4 संपादित वीडियो को व्यापक रूप से वितरण कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। पोषण वीडियो श्रृंखला को 18 भारतीय भाषाओं में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। पोषण वीडियो में महिलाओं की स्थिति, गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष तक के बच्चे की देखभाल, स्तनपान एवं संतुलित आहार का महत्व, स्वास्थ्य और विशेषकर पोषण की देखभाल के मुद्दों का समाधान बताया गया है।

अगले कदम में, हेल्थ-फोन कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्ताओं और दाई को हेल्थ-फोन विडियो से भरे हुए चिप दिए जायेंगे जिससे वे स्वास्थ्य और पोषण के ज्ञान को महिलाओं, परिवारों और समुदाओं के साथ साझा कर सकें।

जल क्रांति अभियान

- जल संसाधन और नदी विकास केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल क्रांति अभियान 2015-2016 का शुभारंभ किया। एक "समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण" का उपयोग कर जल-संरक्षण और प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 के दौरान देश भर में जल क्रांति अभियान मनाया जाएगा।
- जल क्रांति का मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को बचाना, नदी-बेसिन योजना और सिंचाई जल प्रबंधन करना, पारंपरिक संसाधनों का कायाकल्प, संरक्षण करना और पानी बचाना है।
- अभियान के तहत प्रमुख घटक जल ग्राम योजना है जिसके तहत देश के प्रत्येक 672 जिलों में से पानी की भयंकर कमी का सामना कर रहे एक गांव का चयन किया जाएगा। अभियान के तहत स्थानीय पानी पेशेवरों की पहचान की जाएगी और उन्हें पानी की समस्याओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। इन्हें 'जल-मित्र' कहा जायेगा।
- अभियान के तहत 'सुजलम कार्ड' भी प्रदान कए जायेंगे जो कि जल ग्राम में उपलब्ध पीने के पानी की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक स्थिति / सूचना प्रदान करेगा।

नई उद्यमिता योजना: मौजूदा प्रणाली से अलग

- एन.एस.एस.ओ. के आंकड़ों के अनुसार देश में 5.77 करोड़ से अधिक लोग स्वरोजगार में थे जबकि उद्यमिता पर विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2012 में भारत में नए व्यापार के पंजीकरण का घनत्व ब्राजील और मलेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम था। यह अध्ययन रोजगार सृजन में एक प्रमुख संकेतक के रूप में माना जाता है।
- उपरोक्त तथ्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के महत्व को दर्शाते हैं।
- प्रस्तावित योजना से औपचारिक शिक्षा और उद्यमिता शिक्षा के एकीकृत होने की उम्मीद है और साथ ही यह देश में परामर्श केन्द्रों को सुविधाजनक बनाएगी। इससे उद्यमी प्रोत्साहित होंगे और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से यह उद्यमशीलता विकास की मौजूदा प्रणाली से अलग है, जहाँ इसे कौशल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता है।

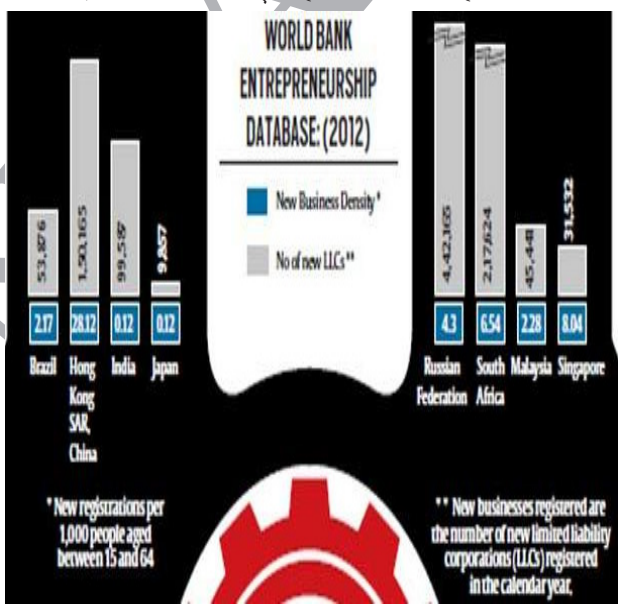

- कौशल नीति और उद्यमिता योजना, दोनों का उद्देश्य रोजगार सृजन है ताकि युवाओं के पास कुछ उत्पादक स्वरूप वाले रोजगार हों।

उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहल

- सरकार (Incubator), गतिशीलता और संरक्षण का एक नेटवर्क बनाने की योजना बना रही है। इसमें आई.आई.एम., आई.आई.टी., भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड जैसे संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर स्थापित किये जायेंगे।
- मुद्रा बैंक जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- इसके साथ ही सरकार उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापार प्रवेश और निकास की कमी को दूर करने का प्रयास

भी कर रही है। साथ ही सरकार, करों और सामाजिक सुरक्षा के लिए एकल उद्यमी पहचान संख्या और भिन्न सरकारी अधिकारियों से सभी मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन एकल समग्र आवेदन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से कारोबार करना आसान कर रही है।

सरकार ने दिल्ली का "विरासत शहर" का नामांकन वापस लिया

- वर्ष 2012 में संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को के समक्ष विरासत टैग के लिए नामांकन दाखिल किया था। यूनेस्को विश्व भर से आये नामांकन की समीक्षा करने ही वाला था कि उससे पहले ही भारत सरकार ने नामांकन वापस ले लिया। संस्कृति मंत्री ने इस निर्णय का कारण बताया कि "एक बार अगर कोई शहर विरासत सूची में आ जाता है, तो आप शहर की योजना और भूमि उपयोग की योजना में कुछ भी निर्माण करने में असमर्थ हो जाते हैं"।
- यूनेस्को के करीब 1,000 विश्व धरोहर स्थलों में 32 भारत में हैं और उनमें से तीन दिल्ली में हैं - लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। लेकिन दुनिया के 220 विरासत शहरों में से कोई भी भारत में नहीं है।

एक विरासत शहर के लाभ

- यूनेस्को के विरासत शहर टैग से शहर के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलता है। रोम, पेरिस, काहिरा और एडिनबर्ग इसके अच्छे उदाहरण हैं।
- पर्यटन को बढ़ावा मिलने से आम तौर पर संबद्ध उद्योगों में रोजगार का विकास होता है।
- यूनेस्को की वेबसाइट के मुताबिक, "विरासत शहर के स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व धरोहर समिति की ओर से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ सलाह भी मिलती है"।

मैगी विवाद

मैगी को लेकर क्या विवाद है?

- गोरखपुर की एक प्रयोगशाला ने नेस्ले के इस दावे की जांच की कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं है। परीक्षण में मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया और बाराबंकी की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई गई।
- कोलकाता की एक प्रयोगशाला के परीक्षण में मैगी में "बहुत अधिक मात्रा" में हानिकारक सीसा पाया गया।

एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) के तहत कौन से नियम "इंस्टेंट नूडल्स" (जैसे-मैगी) को नियंत्रित करते हैं?

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के अनुसार मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एक स्वाद बढ़ाने वाला तत्व है, को 12 महीने से कम के शिशुओं के भोजन में शामिल नहीं किया जा सकता। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को "पास्ता और नूडल्स (केवल सूखे उत्पादों)" सहित 50 से ज्यादा खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, लेकिन नूडल्स और पास्ता के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मसाले में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जहर और अवशेष) विनियम 2011 के तहत शिशु दूध के स्थानापन्न पदार्थों और शिशु खाद्य पदार्थों में सीसा की मात्रा प्रति दस लाख में 0.2 हिस्से (पी.पी.एम) तक हो सकती है और बेकिंग पाउडर, चाय, निर्जलित प्याज, और मसाले जैसी चीजो में यह प्रति दस लाख में 10 हिस्से तक हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे इंस्टेंट नूडल्स में यह मात्रा 2.5 पी.पी.एम. है।

नूडल्स में सीसा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्यों डाला जाता है?

- मोनोसोडियम ग्लूटामेट तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और भोजन स्वादिष्ट लगने लगता है। "इंडियन चाइनीज" खाद्य पदार्थों में इसका व्यापक उपयोग होता है। अमेरिकी खाद्य विभाग के अनुसार मोनोसोडियम ग्लूटामेट आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है और यह नमक, काली मिर्च, सिरका और बेकिंग पाउडर जैसा ही है। ग्लूटामेट टमाटर, मशरूम, कवक और पनीर सहित कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद रहता है।
- नूडल्स में सीसा, पानी या मसालों से या पैकेजिंग और कर्लिंग एजेंट (नूडल्स को घुमावदार बनाने वाला) से आता है।
- माधुरी दीक्षित सहित अन्य लोगों पर मैगी का प्रचार करने की वजह से मुजफ्फरपुर और बाराबंकी न्यायालयों ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

मोनोसोडियम ग्लूटामेट पर कुछ जानकारी

- मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ग्लूटामेट है या कहें तो ग्लुटामिक एसिड का नमक है। यह एक 'गैर जरूरी' एमिनो एसिड है, मतलब कि यह शरीर में ही उत्पादित होता है, इसलिए हमारे आहार में इसका होना आवश्यक नहीं है। अपने शुद्ध रूप में, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। ग्लूटामेट की विभिन्न किस्मों में सोडियम ग्लूटामेट सबसे घुलनशील और क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे आसान है।
- मोनोसोडियम ग्लूटामेट टमाटर, पनीर, आलू, मशरूम, सोयाबीन और समुद्री शैवाल में एक स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला नमक है। लेकिन आजकल समुद्री शैवाल शोरबा या अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से मोनोसोडियम ग्लूटामेट निकालने के बजाये मोनोसोडियम ग्लूटामेट को प्रयोगशालाओं में स्टार्च, चुकंदर, गन्ना या गुड़ के किण्वन द्वारा बनाया जाता है।
- मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक तंत्रिकासंचारक है। यह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तक संदेश भेजता है। माना जाता है कि यह जायका बढ़ाता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें न्यूरॉन्स को प्रोत्साहित करने की क्षमता है और यह तंत्रिका को उत्तेजित करता है। अत्यधिक उत्तेजना के कुछ मामलों में, यह कोशिकाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वजह से कुछ लोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सिर दर्द और यहाँ तक की अल्जाइमर उत्पन्न करने वाला मानते हैं।
- अमेरिकी खाद्य विभाग मोनोसोडियम ग्लूटामेट को सुरक्षित मानता

VISION IAS

है। फिर भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को खाद्य पदार्थ में मिलाने पर पैकेजिंग पर लिखना आवश्यक है कि इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया गया है। यह इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से 1960 के दशक के बाद से, अमेरिकी खाद्य विभाग को मोनोसोडियम ग्लूटामेट युक्त खाद्य पदार्थों के प्रतिकूल प्रतिक्रिया की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिक्रियाओं को मोनोसोडियम ग्लूटामेट लक्षण या चाइनीज रेस्तरां सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इसमें सिर दर्द, पसीना आना, सीने में दर्द, घबराहट, कमजोरी, चेहरा / गर्दन में झुनझुनी और सुन्नता आदि शामिल हैं।

- 1990 के दशक में, अमेरिकी खाद्य विभाग ने एक स्वतंत्र वैज्ञानिक समूह को मोनोसोडियम ग्लूटामेट के प्रभाव की जांच करने के लिए कहा। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट सुरक्षित है। जांच में पाया गया कि भोजन के बिना 3 ग्राम या अधिक मोनोसोडियम ग्लूटामेट लेने से कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में सिर में दर्द, सुन्नता, निस्तब्धता, झुनझुनी, धड़कन बढ़ना जैसे कुछ क्षणिक लक्षण हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट 0.5 ग्राम से कम होता है, ऐसे में एक समय में भोजन के बिना मोनोसोडियम ग्लूटामेट की 3 ग्राम से अधिक मात्रा की संभावना नहीं है।

सभी के लिए आवास - मलिन बस्तियों से पड़ोसी तक वाला दृष्टिकोण

वर्ष 2012 में करीब 18.78 मिलियन आवासीय इकाइयों की कमी थी। इसमें से 95% से अधिक कमी उन परिवारों के लिए थी जिनकी प्रति वर्ष कुल घरेलू आय 2 लाख रुपये से भी कम है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार एक परिवार अपनी वार्षिक आय से पांच गुना तक महंगा घर खरीद सकता है। इस हिसाब से सभी के लिए आवास के लिए हमें 17 लाख रुपये से कम के लगभग 17 मिलियन घर बनाने की जरूरत है।

इतने घरों का निर्माण किसे करना चाहिए?

- इसके लिए तीन ओर ध्यान जाता है: सरकार, निजी डेवलपर्स, और खुद गरीब शहरी समुदाय।
- सरकार: सरकारी आउटपुट पिछले दो दशकों में बढ़ा है लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त है।
- निजी डेवलपर्स: हाल के दिनों में निजी डेवलपर्स द्वारा किफायती आवास के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हालांकि, बाजार अध्ययन के अनुसार, निजी डेवलपर्स 5 लाख रुपये से कम के आवास के बाजार में बिना वित्तीय सहायता के नहीं आना चाहते और 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच के घर के निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा बाजार 10 लाख से 20 लाख के बीच वाले घरों का है। आवास नीति के लिए सबसे बड़ी बाधा ये है कि इन योजनाओं के लिए व्यापार योग्य बाजार का अस्तित्व केवल बड़े मेट्रो शहरों में ही है। लेकिन घरों की जरुरत इन प्रमुख महानगरों के बाहर ही है।
- गरीब शहरी समुदाय: कर्नाटक में पिछले 10-15 सालों में लोगों ने धीरे-धीरे बहुत से घर बनाये हैं, वह भी उस भूमि पर जो उनकी नहीं है पर उस पर वे दावा करते हैं। ऐसे घरों की संख्या सरकार द्वारा बनाये गए घरों से तीन गुना अधिक है। ये घर सस्ते हैं और गरीबों के लिए सुलभ है, लेकिन इनमें सुविधाओं की कमी है और कभी भी ये बेदखली की चपेट में आ सकते हैं।

निष्कर्ष

- हम इस प्रकार भारत के शहरी आवास की कमी के विरोधाभास तक पहुँच जाते हैं। जब किफायती आवास का निर्माण लोगों द्वारा स्वयं किया जाता है तब यह सबसे अच्छा होता है पर यह भौतिक और कानूनी तौर पर अक्सर अपर्याप्त और कमजोर होता है। सरकार, निजी डेवलपर्स द्वारा बनाये जाने वाले आवास बहुत कम होते हैं और जरुरतमंद लोगों की पहुँच से बाहर होते हैं।
- इस विरोधाभास को स्वीकार करते हुए हमें 'सभी के लिए आवास' के विचार का दृष्टिकोण बदलना होगा।
- निजी डेवलपर्स को 15 लाख रुपए से नीचे के घर बनाने का काम देना चाहिए और इसके लिए उन्हें समर्थ बनाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वे 5 लाख से 10 लाख की श्रेणी वाले घरों की कमी का समाधान नहीं कर सकते।
- सरकार को कम आय वाले वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने में एक मजबूत भूमिका निभाना जारी रखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि सरकार पर्याप्त आवासीय इकाई उपलब्ध नहीं करा सकती।
- यह हमें खुद लोगों और समुदायों पर भरोसा करने के लिए छोड़ देता है। अगर इस तरह के स्वयं निर्मित आवासों की अपर्याप्तता पर ध्यान दिया जाए तो आवास की कमी को नाटकीय ढंग से एक भी नई इकाई के निर्माण के बिना कम किया जा सकता है। मौजूदा लेकिन कमजोर और अपर्याप्त आवास के उन्नयन का वैश्विक आवास नीति में एक लंबा इतिहास रहा है जैसे - थाईलैंड, ब्राजील और मिस्र में।
- उन्नयन के कई फायदे हैं। यह नई आवास इकाइयों के निर्माण की तुलना में काफी सस्ता होता है। इसमें सरकार को वही करना होता है जो उसकी भूमिका पहले से रही है जैसे आंतरिक सड़कों का निर्माण, साफ-सफाई, और बिजली प्रदान करना। इस तरह के उन्नयन के मानव विकास के परिणामों पर गुणक प्रभाव काफी ज्यादा होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके लिए नई भूमि नहीं चाहिए होती।

'पूर्व शिक्षा को मान्यता' की योजना

- 5 राज्यों - हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली – के निर्माण क्षेत्रक मे एक नई योजना लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में कामगारों द्वारा परंपरागत, गैर औपचारिक शिक्षा माध्यम से अर्जित किए गए कौशल को प्रमाणित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 10 लाख श्रमिकों के कौशल को प्रमाणित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह योजना भारत जैसे देश के लिए बिलकुल उपयुक्त है जहाँ

केवल 2% श्रमिक ही प्रमाणिक कुशल श्रमिक है। जबकि दक्षिण कोरिया में 96%, जापान में 80%, जर्मनी में 75% और ब्रिटेन में 70% प्रमाणिक कुशल श्रमिक हैं।

- कुल मिलाकर कर्मचारियों की संख्या में कुशल श्रमिकों का प्रतिशत सरकारी अनुमान में लगभग 2% है। जबकि लाखों श्रमिक ऐसे हैं जो अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन शिल्प कौशल में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, वाराणसी या कांचीपुरम के बुनकर, जयपुर के आभूषण कारीगर, सूरत के हीरे के कारीगर। जरुरत है तो इनके कौशल को प्रमाणित करने की।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय अन्य राज्यों में इस योजना का विस्तार और निर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसके दायरे को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।
- भारत के श्रमिकों में कम कौशल स्तर की वजह औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा का ढांचा और उद्योग के लिए तैयार कौशल की कमी है। यह योजना दो महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे रही है:-
  1. विभिन्न व्यापारों के लिए जरूरी दक्षताओं की सूची बनाने में उद्योगों की मदद लेना,
  2. कौशल मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षकों द्वारा एक विशेष उद्योग क्षेत्र में कौशल के स्तर का मानकीकरण करना।
- हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कौशल सीखने के विभिन्न तंत्रों में काम से संबंधित दक्षताओं को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है।
- दिसंबर 2013 में, तात्कालिक सरकार द्वारा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य उद्योगों में विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए सामान्य मानकों को स्थापित करना था और साथ ही इन मानकों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को जोड़ना था। इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक द्वारा आवश्यक कौशल को हासिल करने के लिए श्रमिक को सक्षम करने के लिए बनाया गया था।

मनरेगा के तहत काम करने के दिनों की संख्या मे वृद्धि

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूखा प्रभावित घोषित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम करने के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने के लिए एक कैबिनेट नोट लाया है।
- सूखे की काली छाया ने सरकार को यह परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। सरकार को एहसास हो रहा है कि संकट स्थितियों को कम करने और ग्रामीण गरीबों के लिए जीविका का एक बुनियादी न्यूनतम स्तर प्रदान करने में मनरेगा का क्या महत्व है।
- इस तथ्य को मनरेगा पर विश्व बैंक द्वारा हाल ही में एक अवलोकन में भी स्वीकार किया गया था। इसमें माना गया कि मनरेगा भारत में फसल की कमी और फसल के मौसम बीमा की कमी के लिए एक प्रभावी विकल्प है।
- नई सरकार ने भी इस योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्न कदम उठाये हैं:
- अधिक नियमित निगरानी और कार्यों की वैज्ञानिक योजना।
- परिसंपत्तियों की खराब गुणवत्ता मनरेगा की सबसे बड़ी कमजोरी है। भौतिक और वित्तीय मानकों के आधार पर काम के परिणामों को मापने वाली प्रणाली को शुरू करके इस कमजोरी को दूर किया जायेगा।
- मोबाइल निगरानी प्रणाली और एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से मजदूरी भुगतान में देरी की समस्या का समाधान किया जायेगा।

भारत के महानतम वास्तुकार - चार्ल्स कोरिया

- चार्ल्स कोरिया जिन्हें अक्सर "भारत के सबसे महान वास्तुकार" कहा जाता था, उनकी मृत्यु के साथ ही देश ने शहरी नियोजन की एक प्रतिभा को खो दिया है।
- वे नवी मुंबई के मुख्य वास्तुकार थे, जिसे दुनिया का एक बड़ा आवास स्थान माना जाता है।
- उन्होंने शहरी विकास और किफायती आवास में कुछ अद्वितीय सिद्धांतों को प्रदर्शित किया, जिन्हें अगर व्यापक रूप से अपनाया जाता है तो यह न सिर्फ भारत की सबसे गरीब बस्ती का बल्कि दुनिया का परिदृश्य बदल सकता है।
- उन्होंने सन् 1984 में मुम्बई में शहरी डिजाइन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी।
- भारत मे चार्ल्स कोरिया गांधी स्मारक (अहमदाबाद), कला केंद्र (गोवा), राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय (नई दिल्ली), भारत-भवन (भोपाल), और जवाहर कला केंद्र (जयपुर) के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- उन्हें सन्1972 में पद्मश्री और वर्ष 2006 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2012

क्या कारण है कि लॉरी बेकर को 'भारतीय वास्तुकला की अंतश्चेतना का रक्षक' कहा जाता है?

दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन

- ऑनलाइन दवाओं की बिक्री विकसित बाजारों में काफी प्रचलित है और भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स की वजह से यह भारत में भी बढ़ रही है। लेकिन दुकान से दवाई खरीदने में और ऑनलाइन खरीदने में बहुत अन्तर है। ऑनलाइन दवाई बेचने में निम्न खतरे हैं:
- एक डॉक्टर द्वारा जारी दवाई के पर्चे का मनमाने ढ़ंग से फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन बिक्री में खतरा है कि दवाइयों को फिर से खरीदा जाए और उसका उपभोक्ता द्वारा दुरुपयोग किया जाए।
- बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना भारत में काफी प्रचलित है और दवाओं की ऑनलाइन बिक्री इसे और प्रोत्साहित करेगी।
- दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग से रोगी पर दवाओं का असर कम होने लगता है जैसा कि तपेदिक की दवाओं के साथ देखा गया है।
- इसके नियमन की मांग उठने लगी है क्योंकि मौजूदा औषधि और

VISION IAS

प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दवा उद्योग में ई-कॉमर्स के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि दवाओं को एक डॉक्टर के पर्चे के तहत लाइसेंसी फार्मेसियों द्वारा ही बेचा जाना चाहिए।

- क्योंकि यह मामला उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित है। इसलिए इसका नियमन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
- जो दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि इससे छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका उद्देश्य मौजूदा प्रणाली में ई-फार्मेसी को एकीकृत करना है।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, 1931 के बाद से पहली जनगणना है जिसमें जाति का विवरण भी शामिल है।
- ग्रामीण परिवारों के आंकड़ों के लिए, जनगणना को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है, जिन्हें अनिवार्यत: बाहर रखा जाना है; जिन्हें अनिवार्यत: शामिल किया जाना है; और वे जो इन दोनों श्रेणियों के बीच में आते हैं। इसके बाद इन्हें वंचन के 7 मानदंडों के आधार पर आंका गया है।
- बिना आवास वाले परिवार, भिक्षा पर बसर करने वाले, मैला ढ़ोने वालों, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर को अनिवार्यत: शामिल किया जाना है। इस आंकड़े को 1% से कम रखा गया है।
- अनिवार्यत: बाहर रखे जाने वालों में वे परिवार शामिल हैं जिनके पास निम्न में से कुछ भी हो:- मोटर चलित वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50,000 रुपये से ज्यादा की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें वे परिवार भी आते हैं जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या 10,000 रुपये प्रति महीने से अधिक कमाता हो या आयकर प्रदाता हो। इसमें ऐसे परिवार भी आते हैं जो तीन या अधिक कमरे वाले पक्के घर में रहते हैं, या घर में फ्रिज हो, या टेलीफोन हो या सिंचित भूमि हो।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 24.39 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें से 6.48 करोड़ परिवारों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार केवल 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।

वंचन की स्थिति के आकलन के लिए 7 सामाजिक-आर्थिक मानक

वर्ष 2011 में भारत की ग्रामीण आबादी की लगभग 19% आबादी के पास निम्न सात सामाजिक-आर्थिक मानकों में से कम से कम एक की कमी थी-

I. बिना कोई ठोस दीवार और छत के साथ केवल एक ही कमरे का घर,

II. 15-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य ना होना,

III. महिला प्रधान घर में 15-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष ना होना,

IV. विकलांग सदस्य या बिना सक्षम शरीर सदस्य वाले परिवार,

V. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार,

VI. 25 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई साक्षर सदस्य ना होना,

VII. भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्या हिस्सा अनौपचारिक श्रम से आता हो

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- जनांकिकी:
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या: ग्रामीण परिवारों में से 21.53% अनुसूचित जाति और जनजाति के थे।
- महिलायें: भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब 48% महिलायें हैं।
- ट्रांसजेंडर: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी थी। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में 0.1% ट्रांसजेंडर हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और मिजोरम में किन्नरों की जनसँख्या ज्यादा है।
- आय और रोजगार:
- लगभग एक तिहाई ग्रामीण परिवारों में अभी भी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है और वे एक कमरे के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। जनगणना द्वारा आकलित 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से ऐसे परिवार 31.26% हैं। ऐसे परिवारों को अब 'गरीब परिवार' माना जाएगा और गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मिलने वाले लाभ दिए जायेंगे।

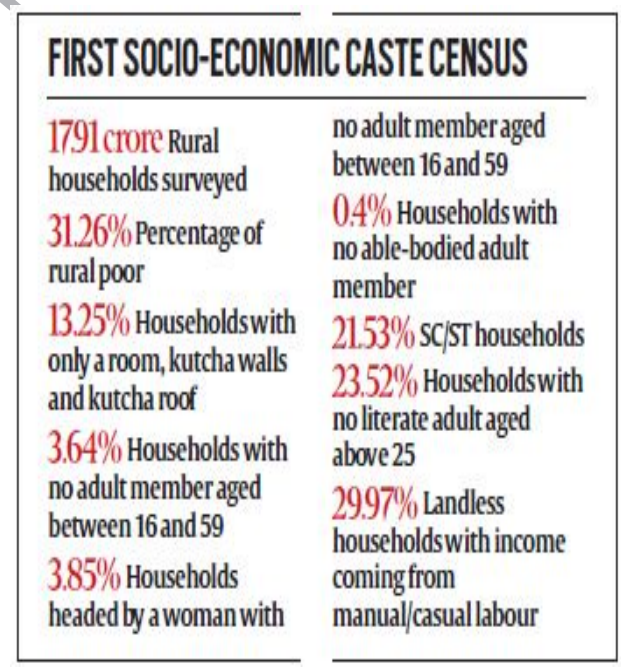

- 35 लाख परिवार बिना किसी आय वाले हैं 1 लाख परिवार भीख माँग कर जीवित हैं और 43,000 परिवार कूड़ा बीनकर जीवन यापन करते हैं।

VISION IAS

- ग्रामीण परिवारों में 30% भूमिहीन हैं और अपनी आय का एक प्रमुख हिस्सा अनौपचारिक श्रम से पाते हैं। 10% से भी कम के पास वेतन वाली नौकरियाँ हैं।
- परिवारों के राज्यवार डेटा के संदर्भ में, जिनकी मासिक आय 5,000 रुपये से भी कम है और एक कमरे के कच्चे घर में रहते है, मध्य प्रदेश सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। मध्यप्रदेश में 24% ग्रामीण परिवार गरीब हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ और बिहार का नंबर आता है जहाँ क्रमश: 21% और 19% ग्रामीण परिवार गरीब हैं।
- साक्षरता:
- ग्रामीण भारत में 88 करोड़ लोगों में से 36% अनपढ़ हैं। यह वर्ष 2011 की जनगणना के द्वारा दर्ज 32% से अधिक है।
- 64% साक्षर ग्रामीण भारतीयों में से 20% से अधिक ने प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की है। ग्रामीण भारत से केवल 5.4% ने हाई-स्कूल की पढाई पूर्ण की है और मात्र 3.4% कॉलेज से स्नातक हुए हैं।
- 23.5% ग्रामीण परिवारों में 25 वर्ष की आयु से ऊपर कोई वयस्क साक्षर नहीं है।
- साधारण सुविधाएं:
- 50 लाख परिवारों को पीने का पानी लेने घर से दूर जाना पड़ता है।
- 20 लाख परिवारों के पास बिजली की आपूर्ति नहीं है और उनके पास पक्के शौचालय नहीं हैं (जहां टॉयलेट सीट और नाली के बीच पानी एक बाधा के रूप में कार्य करता है)।
- ग्रामीण परिवारों के लगभग 28% के पास अभी भी लैंडलाइन फोन या मोबाइल फोन नहीं है।
- सिर्फ 20% लोग ही किसी वाहन के मालिक हैं।
- सिर्फ 10% के पास रेफ्रिजरेटर है।
- केवल 20.6% परिवारों के पास "मोटर चालित दो / तीन / चार पहिया वाहन है"।
- विविध:
- 41.6% ग्रामीण भारतीय अविवाहित हैं, 40% शादीशुदा हैं और 3.5% तलाकशुदा हैं। पुडुचेरी और केरल में विधवाओं का अनुपात क्रमश: 6% और 5.5% हैं।
- ग्रामीण भारत में औसत घरेलू सदस्य संख्या 5 है, और उनमें से केवल 12.8% परिवार महिला प्रधान हैं। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 40% परिवार महिला प्रधान हैं।
- देश भर में ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.62% के पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है। 5% से कम के ही पास कोई कृषि उपकरण है।

निष्कर्ष

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना द्वारा दिए गये अभाव ग्रस्त परिवारों के आंकड़े पूर्ववर्ती योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों से भिन्न हैं। योजना आयोग के आंकड़ें आय पर आधारित थे। आयोग के अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 25.7% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, मतलब की उनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 816 रूपए से भी कम थी।
- जनगणना के निष्कर्ष रंगराजन समिति के निष्कर्ष के समान ही हैं। समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 30.95% और शहरी क्षेत्रों में 26.4% था। रंगराजन रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 32 रुपये से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब माना जाएगा।
- ये निष्कर्ष राज्यों और केंद्र के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए आधार के रूप काम करेंगे। ये निष्कर्ष लक्षित समूहों को समर्थन देने और और उनके लिए नीति नियोजन के लिए आधार बनेंगे।

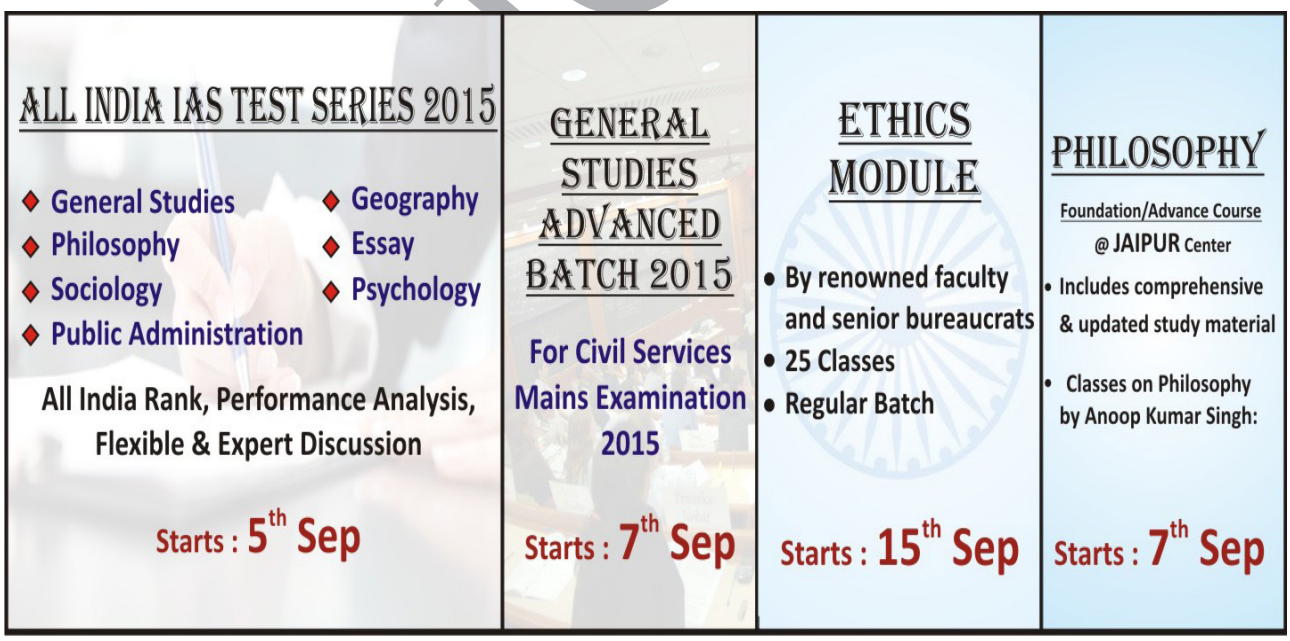

सुरक्षा

मणिपुर में आतंकवादी हमला

जनहानि: 20 सैनिकों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए।

हमलावर आतंकी समूह: एक नए आतंकी समूह, पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशिया के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने इस हमले की जम्मेदारी ली है। इसमें नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), उल्फा, कामतापुर मुक्ति संगठन और नेशनल डेमोक्रेटिक फण्ड ऑफ बोडोलैंड (सोंग्बिजित) शामिल हैं।

समुद्री निगरानी के लिए सेशेल्स में आई.एन.एस. तेग

- आई.एन.एस. तेग को सेशेल्स में समुद्री निगरानी के लिए भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप ही भेजा गया है। इसका उद्देश्य न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, निर्बाध आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय वातावरण सुनिश्चित करना है।

- भारत ने सेशेल्स को इसके क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत एक फास्ट अटैक क्राफ्ट और डोर्नियर विमान भी उपलब्ध कराया है।

प्रयोजन

- क्षेत्र की निगरानी में मदद प्रदान करना।
- हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ भारत के समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना।

स्वचालित पहचान प्रणाली (स्वामित्व) ट्रांसपोंडर

- यह परियोजना मछली पकड़ने की 20 मीटर से छोटी नौकाओं पर नजर रखेगी और इसकी पहुँच समुद्र तट से 50 किलोमीटर की दूरी तक होगी।
- यह परियोजना कृषि मंत्रालय के पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- वर्तमान में, 20 मीटर से ऊंची नौकाओं पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली है, लेकिन छोटी नौकाओं के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
- आवश्यकता:
- भारत का समुद्री तट बहुत लम्बा है इस वजह से कई प्रकार की सुरक्षा चिंताएं बनी रहती हैं, जैसे हथियारों और विस्फोटकों का समुद्री मार्ग से आना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, समुद्र और अपतटीय द्वीपों का आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग और समुद्री मार्ग से सामान की तस्करी।
- तट पर भौतिक बाधाओं का अभाव और ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा प्रतिष्ठानों की उपस्थिति से इन क्षेत्रों पर जोखिम और बढ़ जाता है।
- कुछ समय पहले भारतीय तटरक्षक बल ने आतंकवादी होने के संदेह पर पोरबंदर तट पर एक नाव को नष्ट कर दिया था।

उपग्रह संचार गेटवे

पृष्ठभूमि

सन् 1999 की नई दूरसंचार नीति ने भारत में उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल निजी संचार (GMPCS) सेवा की शुरूआत की परिकल्पना की थी। GMPCS सेवा के माध्यम से उपभोक्ता एक छोटे से यन्त्र से पृथ्वी पर किसी भी जगह पर संवाद कर सकता है। उपभोक्ता के पास उसका एक टेलीफोन नंबर होगा जो किसी स्थान पर निर्भर नहीं रहेगा मतलब उपभोक्ता अगर उस यन्त्र को कहीं और भी ले जाता है तो भी टेलीफोन नंबर नहीं बदलेगा। "मोबाइल उपग्रह नेटवर्क" का उपग्रह पृथ्वी के ऊपर किसी भी कक्षा में हो सकता है, सभी कक्षाओं से यह काम कर सकता है। इन प्रणालियों को आवाज, डेटा, फैक्स, संदेश आदि जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह प्रणाली उपग्रह के माध्यम से इन सेवाओं को वैश्विक पहुँच देती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अधिक किफायती उपयोग से GMPCS के साथ आसान, लचीला और सुविधाजनक संचार संभव हो जाएगा।

- वर्तमान स्थिति
- भारत में गेटवे के अभाव में, कानून प्रवर्तन एजेंसियां भारत में इस्तेमाल किये जा रहे सेटेलाइट फोन से/पर किये गए कॉल की निगरानी करने में सक्षम नहीं हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।
- आपदा प्रतिक्रिया के समय, जब देश में सामान्य संचार प्रणाली काम करना बंद कर देती है, देश को आवश्यक उपग्रह संचार सेवाओं के लिए विदेशी गेटवे पर निर्भर रहना पड़ता है।

- एक अनुमान के अनुसार देश में 1532 अधिकृत सेटेलाइट फोन कनेक्शन काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं।

योजना

- दूरसंचार विभाग भारत में एक उपग्रह संचार गेटवे की स्थापना के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को वित्त उपलब्ध करा रही है।
- लाभ:
- कीमत में कमी आएगी
- सैटेलाइट फोन को देश के भीतर और अधिक सुरक्षित कनेक्शन उपलब्ध होगा।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE Classes also available www.visionias.in

♦ INTERACTIVE AND INNOVATIVE WAYS OF TEACHING
♦ ONLINE ACCESS TO STUDY MATERIAL, TESTS & PERFORMANCE INDICATORS
♦ CONTINUOUS ASSESSMENT THROUGH ASSIGNMENTS AND ALL INDIA TEST SERIES
♦ INDIVIDUAL GUIDANCE

40+ Selections in top 100
400+ Selections in CSE 2014

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
Enroll into innovative Assessment System from the leader in Test Series Program
♦ General Studies ♦ Geography
♦ Philosophy ♦ Essay
♦ Sociology ♦ Psychology
♦ Public Administration
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

CSE 2013
200+ Selections in CSE 2013

GAURAV AGRAWAL
Rank-1

CSE 2014

NIDHI GUPTA
Rank-3

VANDANA RAO
Rank-4

SUHARSHA BHAGAT
Rank-5

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
• By renowned faculty and senior bureaucrats
• 25 Classes
• Regular Batch
Starts : 15th Sep

www.facebook.com/visionias.upsc
www.twitter.com/Vision_IAS

DELHI:
♦ HEAD OFFICE: 1/8-B, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro
♦ Rajinder Nagar Centre: 78, 1st Floor, Old Rajinder Nagar, Near Axis Bank
♦ 103, 1st Floor B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar
Contact : - 9650617807, 9717162595, 8468022022

JAIPUR:
♦ Ground Floor, Apex Mall, Jaipur, Rajasthan Contact :- 9001949244, 9799974032

HYDERABAD:
♦ 1-10-140/A, 3rd Floor, Rajamani Chambers, St. No.8, Ashok Nagar, Telangana - 500020. Contact :- 9000104133, 9494374078, 9799974032

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

भारत जुलाई में पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन का परीक्षण करेगा: इसरो

- यह प्रक्षेपण वाहन (1.5 टन) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी. एस.एल.वी.) रॉकेट पर स्थापित किया जाएगा।
- 70 कि.मी. की ऊंचाई पर मॉडल अलग हो जाएगा और पृथ्वी की ओर वापस उतरने लगेगा।

- मशीन में लगे पंखों के माध्यम से उचित गति नियंत्रित की जाएगी।
- पिछले दिसंबर मे इसरो ने एक 3.7 टन वजनी क्रू-मॉड्यूल एटमॉस्फेयरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट नामक विशालकाय मॉड्यूल स्थापित किया, जिसका उद्देश्य इसकी पुन: प्रवेश (री-एंट्री) विशेषताओं, एयरो ब्रेक्रिंग और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैराशूट प्रणाली की पुष्टि या इसके प्रमाणीकरण का अध्ययन करना था।
- यह उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को दसवें भाग तक कम कर देगा।

साकार (Sakaar)

"**साकार**" भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा एंड्रायड उपकरणों के लिए विकसित किया गया ऑग्मेंटेड रियलिटी एपलिकेशन (ऐप) है।

- साकार में एम.ओ.एम., आर.आई.एस.ए.टी., और रॉकेट (पी. एस.एल.वी., जी.एस.एल.वी., एम.के.-III) का 3डी मॉडल; चक्रवात का पूर्वानुमान व्यक्त करने वाला इनसेट 3डी के वीडियो, जी.एस.एल.वी. डी5/क्रायो के वीडियो, मार्स ऑर्बिटर मिशन (एम.ओ.एम.) को कक्षा में स्थापित करने वाला वीडियो, एम.ओ.एम. का लांच वीडियो, एम.ओ.एम. का 360 डिग्री पर एनिमेटेड तस्वीर, मंगल के सतह का एनाग्लिफ (द्विवर्णी त्रिविमचित्र) आदि शामिल हैं।

ऑग्मेंटेड रियल्टी (संवर्धित वास्तविकता) प्रौद्योगिकी

- ऑग्मेंटेड रियलिटी (ए.आर.) प्राकृतिक और वास्तविक विश्व पर्यावरण का प्रत्यक्ष लाइव प्रस्तुति है। वास्तविक विश्व पर्यावरण के तत्वों को कंप्यूटर जनित 3डी मॉडल, एनिमेशन वीडियो आदि द्वारा संवर्धित किया जाता है।
- यह टेक्नॉलाजी इस्तेमालकर्ता की वास्तविकता की वर्तमान धारणा बढ़ाती है।
- आवश्यक रूप से ऑग्मेंटेड रियलिटी में तीन तत्वों की आवश्यकता होती है - बैक कैमरा के साथ एंड्रायड उपकरण, ऑग्मेंटेड रियलिटी एपलिकेशन तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी मार्कर्स (चिन्हक)।

यू.पी.एस.सी. 1996

आभासी वास्तविकता क्या है? यह किस प्रयोजन हेतु प्रयोग की जाती है?

विश्व का सबसे पतला प्रकाश बल्ब बनाया गया

शोधकर्ताओं ने ग्राफीन (कार्बन का परमाणुवीय रूप से पतला और पूरी तरह से क्रिस्टलीय रूप) को तंतु के रूप में प्रयोग कर दुनिया का सबसे पतला प्रकाश बल्ब निर्मित किया है। ध्यातव्य है कि तापदीप्त बल्ब में तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है।

विशेषताएँ और अनुप्रयोग

- जब तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह 2500° C तक गर्म हो जाता है और असाधारण रूप से चमकीला प्रकाश पैदा करता है।
- सरल संरचना वाला यह ग्राफीन प्रकाश अपेक्षाकृत कम लागत वाला होता है।
- इसे चिप में भी एकीकृत किया जा सकता है जो परमाणुवीय रूप से लचीले, पतले और पारदर्शी डिस्प्ले के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इसका ब्रॉडबैंड प्रकाश उत्सर्जक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- अत्यधिक पतली (सुपर थिन) सामग्री द्वारा प्रकाश उत्पादन करने की क्षमता को अत्यधिक पतले (सुपर थिन) कंप्यूटर और टी.वी. स्क्रीन बनाने हेतु एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

ग्राफीन

- ग्राफीन षट्कोणीय जालक में जुड़े कार्बन परमाणुओं से निर्मित होता है।
- यह इस्पात से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत होता है।
- यह तांबे की तुलना में बेहतर सुचालक होता है।
- यह लगभग पारदर्शी होती है।

यू.पी.एस.सी. 2012

ग्राफीन अभी हाल ही में बार-बार खबरों में आ रही है। इसका क्या महत्व है?

VISION IAS

1. यह एक द्वि-आयामी सामग्री है और इसकी विद्युत सुचालकता अच्छी होती है।
2. यह अभी तक परीक्षित की गई सबसे पतली लेकिन सबसे मजबूत सामग्रियों में से एक है।
3. यह पूरी तरह सिलिकॉन से बनी होती है और इसमें उच्च प्रकाशिक पारदर्शिता होती है।
4. यह टच स्क्रीन, एल.सी.डी. और कार्बनिक एल.ई.डी. के लिए वांछित 'सुचालक इलेक्ट्रोडों' के रूप में प्रयोग की जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और4 (d) 1, 2, 3 और 4

ग्रिड संबद्ध 2000 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजना का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रिड संबद्ध 2000 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर विद्युत उत्पन्न करने की योजना को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के दूसरे चरण के तहत, निर्माण करो-स्वामित्व ग्रहण करो-संचालित करो (बिल्ड ओन ऑपरेट) के आधार पर मंजूरी दी है।

प्रभाव

- इससे प्रतिवर्ष लगभग3.41 मिलियन टन कॉर्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में12000 लोगों के लिए नौकरियां उत्पन्न होंगी।

यू.पी.एस.सी. 2014

सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ के साथ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'फोटोवोल्टिक' या प्रकाश-वोल्टीय एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश के विद्युत में सीधे रूपांतरण द्वारा विद्युत उत्पादन करती है, जबकि 'सौर तापन' एक ऐसी तकनीक है जो ताप उत्पन्न करने हेतु सूर्य की किरणों का प्रयोग करती है, जिसे आगे विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है।
2. 'प्रकाश-वोल्टीय' प्रत्यावर्ती धारा (ए.सी.) उत्पन्न करती है, जबकि सौर-तापीय दिष्ट धारा (डी.सी.) उत्पन्न करती है।
3. भारत के पास सौर-तापीय तकनीक के लिए विनिर्माण का आधार उपलब्ध है किन्तु प्रकाश-वोल्टीय हेतु नहीं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

भारत में पेटेंट पर सरकार की वार्षिक रिपोर्ट

- रिपोर्ट निर्मित करने वाली एजेंसी: पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिह्नों के महानियंत्रक का कार्यालय।
- कर्नाटक में विभिन्न संस्थाओं से पेटेंट हेतु आवेदन एक वर्ष में 40 प्रतिशत की तीव्र गति से बढ़ा है, जिसने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया है।
- भारत में अवस्थित 5 पेटेंट कार्यालयों को इस वर्ष 42,674 आवेदन प्राप्त हुए ।

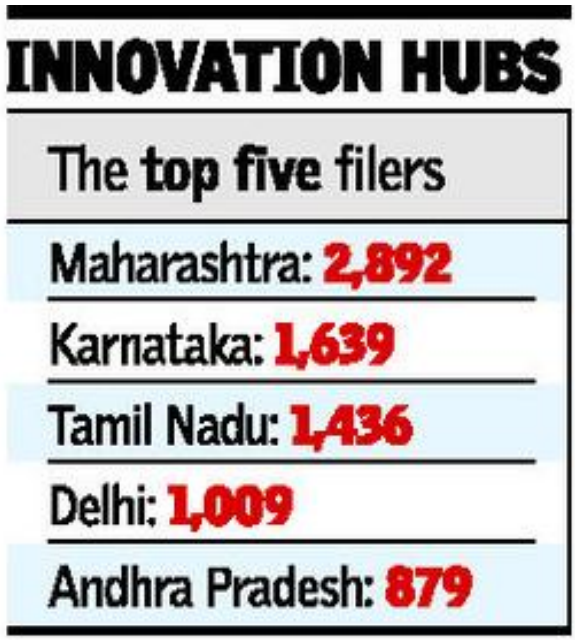

- 4,227 पेटेंट प्रदान किए गए, मात्र 43 प्रतिशत को जांचा गया या निरस्त किया गया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (12), भारतीय विज्ञान संस्थान (32) और सिद्दागंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमाकुरु (24), पेटेंट प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 वैज्ञानिक संस्थानों में शामिल हैं।

यू.पी.एस.सी. प्रमुख परीक्षा 2012

"नवाचार " शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत में एक राष्ट्रीय नवोन्मेष नीति आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.)

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.) पृथ्वी की निचली कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात् एक निवास करने योग्य कृत्रिम उपग्रह है।
- आई.एस.एस. अब पृथ्वी की कक्षा में सबसे बड़ा कृत्रिम पिंड बन चुका है और इसे धरती से बहुधा केवल आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है।
- यह स्टेशन, चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशन के लिए आवश्यक अंतरिक्ष यान प्रणालियों और उपकरणों के परीक्षण के लिए उपयुक्त है।

VISION

- आई.एस.एस. अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रयोग संचालित करते हैं।

खबरों में क्यों: ड्रैगन मालवाहक जहाज के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आई.एस.एस.) के लिए आपूर्तियाँ (रसद) ले जा रहे अमेरिकी स्पेसएक्स (SpaceX) रॉकेट में प्रक्षेपण के तीन मिनट बाद विस्फोट हो गया था।

फिले (Philae)

फिले क्या है: यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक रोबोटिक लैंडर (सतह पर उतरने वाला) है जो धूमकेतु 67 P/Churyumov-Gerasimenko पर उतरने तक, पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद 10 वर्ष से अधिक समय तक रोसेटा (Rosetta) अंतरिक्ष यान के साथ रहा। 12 नवंबर 2014 को इस प्रोब ने किसी धूमकेतु के नाभिक पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा किया।

खबरों में क्यों: 15 नवंबर 2014 को फिले सेफ मोड़ या हाइबरनेशन में चला गया था। इसके अनियोजित लैंडिंग स्थल पर सूर्य के प्रकाश की कमी और ऑफ नॉमिनल स्पेसक्रॉफ्ट ओरिएंटेशन के कारण इसकी बैटरी मंद पड़ गई थी। मिशन नियंत्रकों ने आशा व्यक्त की कि अगस्त 2015 तक सौर पैनलों पर पड़ने वाला सूर्य का अतिरिक्त प्रकाश लैंडर को रीबूट (फिर से कार्य शुरू करने) करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। 13 जून 2015 को फिले ने रोसेटा (Rosetta) के साथ फिर से संवाद आरम्भ कर दिया।

रोसेटा (Rosetta) क्या है: धूमकेतु 67P की परिक्रमा करने वाला मातृयान (अंतरिक्ष यान)। फिले, रोसेटा के साथ संचार करता है जो प्राप्त आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजता है।

मिशन के लक्ष्य

- धूमकेतु पदार्थ की तात्विक, समस्थानिक, आण्विक और खनिजीय संरचना पर ध्यान केंद्रित करना।
- सतही और उपसतही सामग्री के भौतिक गुणधर्मों के लक्षणों का वर्णन करना।
- नाभिक की बड़े पैमाने की संरचना तथा चुंबकीय एवं प्लाज्मा पर्यावरण का अध्ययन।
- मिशन का प्रयास धूमकेतुओं के बारे में लंबे समय से बने रहस्यों को खोलना है जो बर्फ और धूल के आदिकालीन भण्डार हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे सौर मंडल के निर्माण का रहस्य प्रकट कर सकते हैं।

लापता बच्चों का पता लगाने के लिए खोया-पाया वेब पोर्टल का शुभारंभ

'खोया-पाया' एक वेब पोर्टल है। इस पोर्टल पर आम नागरिक लापता बच्चे और संदिग्ध व्यक्ति के साथ देखे गए बच्चों के बारे में रिपोर्ट कर सकते है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई.)के द्वारा विकसित किया गया है।

विशेषताएँ

- वैसे माता-पिता जिनका बच्चा लापता हो गया है। इस पोर्टल पर सूचना अपडेट कर सकते हैं, जिसे पुलिस और अधिकारियों के साथ वास्तविक समय में साझा किया जाएगा।
- देश में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी लापता बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वे भी उसे अपडेट कर सकते हैं।
- लिखित रूप से, फोटो, वीडियो और संचारण तथा सूचना अपलोड करने के अन्य साधनों के माध्यम से रिपोर्टिंग की जा सकती है।
- यह वेबसाइट प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने या पुलिस कार्रवाई का स्थानापन्न नहीं है।

भारत में लापता बच्चों के आंकड़े

- प्रतिवर्ष लगभग 70,000 लापता बच्चों की रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं।
- जनवरी 2012 से अप्रैल 2015 तक लापता बच्चों में से प्राप्त बच्चों की कुल संख्या 23,597 है।
- बच्चों के लापता और बच्चों की तस्करी के मामले वाले राज्यों की सूची में झारखण्ड शीर्ष स्थान पर है।
- ये बच्चे अधिकतर बड़े शहरों में बालश्रमिक बन जाते हैं या वेश्यावृत्ति में धकेल दिए जाते हैं।

आलोचना:

- लापता बच्चों के अधिकतर मामलों में, इस प्रकार के बच्चों के परिवार अत्यधिक गरीब व अशिक्षित होते हैं और दिन में तीनों समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं।
- उनके लिए इंटरनेट का प्रयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
- जो व्यक्ति/ संस्था वस्तुतः इस वेबसाइट के माध्यम से उनका सहयोग कर सकते हैं, वे या तो पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे हुए गैर-सरकारी संगठन हैं या पुलिस अधिकारी जो अधिकतर उदासीन रहते हैं।

VISION IAS

सी.एस.आई.आर. पवित्र तुलसी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण में सफल

सी.एस.आई.आर.एवं केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान (सी. आई.एम.ए.पी.) ने तुलसी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को प्रकाशित किया है।

अन्य नाम: ओसिमम सैंक्टम (Ocimum sanctum), चमत्कारी पौधा 'पवित्र तुलसी'

तुलसी का महत्व

- हिन्दू संस्कृति की पवित्र परम्परा के अनुसार यह 3000 वर्ष से अधिक समय तक पूजनीय रही है।
- **औषधीय लाभ**
- यह पारम्परिक चिकित्सा की अनेक प्रणालियों में प्रयोग की जाती है, जिसमें आयुर्वेद, ग्रीक, रोमन, सिद्धा और यूनानी सम्मिलित हैं।
- यह अनेक रोगों जैसे कि श्वसनीशोथ, श्वसनी दमा, मलेरिया, हैजा, पेचिश, त्वचा रोगों, गठिया, पीड़ादायी नेत्र रोगों, तीव्र ज्वर, कीट दंश आदि का उपचार करने हेतु निर्मित औषधि मिश्रणों में प्रयोग की जाती है।
- इसमें प्रजनन विरोधी (एंटी फर्टिलिटी), कैंसर विरोधी (एंटी कैंसर), मधुमेह विरोधी (एंटी डायबेटिक), प्रति-कवकीय (एंटी-फंगल), प्रति-सूक्ष्मजीवीय (एंटी माइक्रोबियल), हेपेटोप्रोटेक्टिव (यकृत-संरक्षक), कार्डियोप्रोटेक्टिव (हृदय-संरक्षक), प्रति-वमनकारी (एंटी इमेटिक), प्रति-अनियमनकारी (एंटी स्पासमोडिक), पीड़ानाशक (एनाल्जेसिक), अनुकूलनकारी प्रस्वेदक क्रियाशीलता के गुण पाये जाते हैं।

संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का महत्व

- सभी औषधियों की माता के समान महत्व वाली इस औषधि के रहस्य को स्पष्ट करने का यह प्रथम चरण है।
- यह विभिन्न औषधीय उपयोगों में इसकी उपयोगिता के पारम्परिक दावे को वैज्ञानिक पुष्टि प्रदान करने में सहयोग करेगा।
- यह इस पौधे में महत्वपूर्ण द्वितीयक उपापचयजों(metabolites) के कृत्रिम रूप से निर्माण में नीहित, पर अभी तक न पहचाने जा सके जीनों की पहचान को भी सरल बना देगा।
- आणविक (सुक्ष्मतम) उपकरणों व जीनोम संसाधनों, का यह विकास अंतत: आणविक प्रजनन तथा पवित्र तुलसी की चिकित्सीय समुदाय मे उपयोगिता को गति प्रदान करेगा।

यू.पी.एस.सी. 2014

नीम के वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नीम के तेल को कुछ कीटों और बरुथियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
2. नीम के बीजों को जैव-ईंधनों और चिकित्सालय अपमार्जकों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है।
3. नीम तेल का अनुप्रयोग दवा उद्योग में होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

दो वर्ष के उन्नयन कार्य के बाद लार्ज हेड्रोन कोलाइडर द्वारा प्रयोग पुन: आरम्भ

- नाभिकीय शोध हेतु यूरोपीय संगठन, सर्न ने यह रिपोर्ट दी है कि दो वर्ष तक बन्द रहने के बाद पार्टिकल बीम (कणों की किरणें) को सफलतापूर्वक एल.एच.सी. में दोनों ही दिशाओं में प्रवेश कराया गया।
- एल.एच.सी. प्रथम परिचालन के दौरान एटलस (ATLAS) और सी.एम.एस. प्रयोगों ने तथाकथित हिग्स बोसान की खोज की घोषणा की थी।
- विशाल कोलाइडर, जो दो वर्षों के दौरान इसे दुगुनी शक्ति प्रदान किए जाने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरा है, अब अगले तीन वर्षों तक निरंतर चलेगा।

अतिरिक्त ऊर्जा के लाभ

- उन कणों को भी प्रकट कर सकती है जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया है।
- डार्क मैटर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहयोग करेगी।
- शोधकर्ता "नवीन भौतिक विज्ञान" के प्रमाण की खोज करेंगें और "सुपरसिमेट्री" की जांच पड़ताल करेंगे- जो रहस्यपूर्ण डार्क मैटर की व्याख्या और अतिरिक्त विमा के संकेतों की खोज करने हेतु एक सैद्धांतिक मान्यता है जिसे अनौपचारिक रूप से सूसी (Susy) कहा जाता है।

डार्क मैटर क्या है?

- डार्क मैटर एक परिकल्पित पदार्थ है जो टेलिस्कोप से नहीं देखा जा सकता किन्तु ब्रह्माण्ड में विद्यमान अधिकांश पदार्थ के लिए जिम्मेदार हो सकता है। डार्क मैटर के अस्तित्व और इसके गुणधर्मों को दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षी प्रभाव, विकिरण तथा ब्रह्माण्ड की विशाल संरचना से अनुमान लगाया जाता है।
- डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर मिलकर ब्रह्माण्ड के कुल द्रव्यमान-ऊर्जा के 95.1% का गठन करते हैं।
- डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके विशाल प्रभाव को टेलिस्कोप द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह प्रकाश को ग्लैक्सी के चारों ओर मोड़ देता है जिससे तारकीय प्रकाश का एक वलय निर्मित होता है जिसे गुरुत्वाकर्षी लेंसिंग कहते हैं।

वर्जिन बर्थ (पर्थिओजेनेसिस)

प्रथम बार कशेरूकी प्राणियों में वन्य परिस्थितियों के अंतर्गत इस परिघटना को देखा गया। सरीसृपों, पक्षियों और शार्कों में कैप्टिविटी स्थिति (बंद परिवेश) में वर्जिन बर्थ के अनेक मामले सामने आए हैं।

VISION IAS

- यह संसर्ग (समागम) के बिना ही होने वाला जनन है।
- **प्रक्रिया :**
- इसमें एक मादा अंड-कोशिका, नर शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचित हुए बिना ही शिशु में विकसित हो सकती है।
- अंड-कोशिका के निर्माण में, एक पूर्ववर्ती कोशिका चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।
- इनमे से एक कोशिका जो अंततोगत्वा अंड कोशिका बनती है, वह आधारभूत कोशिकीय संरचनाओं और जैल-सदृश कोशिकाद्रव्य को बनाए रखती है।
- अन्य तीन कोशिकाएं अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को धारण करती हैं। इनमें से एक कोशिका वास्तव में शुक्राणु कोशिका के रूप में कार्य करती है और अंड के साथ संयोजित हो जाती है।
- यह "निषेचित" अण्ड माता की आधी आनुवांशिक विविधता धारण करता है। यह एक ऐसी विलक्षणता है जिसे आनुवंशिक परीक्षण द्वारा वर्जिन बर्थ ज्ञात करने हेतु किए जाने वाले परीक्षण से जाना जा सकता है।

खबरों में क्यों: वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सॉफिश प्रजाति में समागम बिना ही "वर्जिन बर्थ" की एक श्रृंखला दर्ज की है। यह प्रजाति अति मत्स्यन तथा पर्यावासों के नष्ट होने के कारण लुप्त होने की कगार पर पहुँच गई है। यह पहली बार वन्य परिस्थितियों में देखी गई वर्जिन बर्थ नामक परिघटना का संकेत देती है।

स्मालटूथ सॉफिश में वर्जिन बर्थ का कारण: स्मालटूथ सॉफिश की संख्या इतनी कम है कि समागम की परिस्थितियाँ नहीं बन सकती हैं।

स्मालटूथ सॉफिश

- इसे वाइड सॉफिश के नाम से भी जाना जाता है।
- यह भूमध्यसागर समेत अटलांटिक के उथले उष्णकटिबन्धीय और उपोष्णकटिबन्धीय जल निकायों में पायी जाती है।

आई.एन.एस. विक्रान्त

- प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक पोत आई.एन.एस. विक्रान्त को संरचनात्मक कार्य पूरा होने पर जलावतरित किया गया है।
- अधिष्ठापन के बाद यह सबसे बड़ा वायुयान वाहक है।

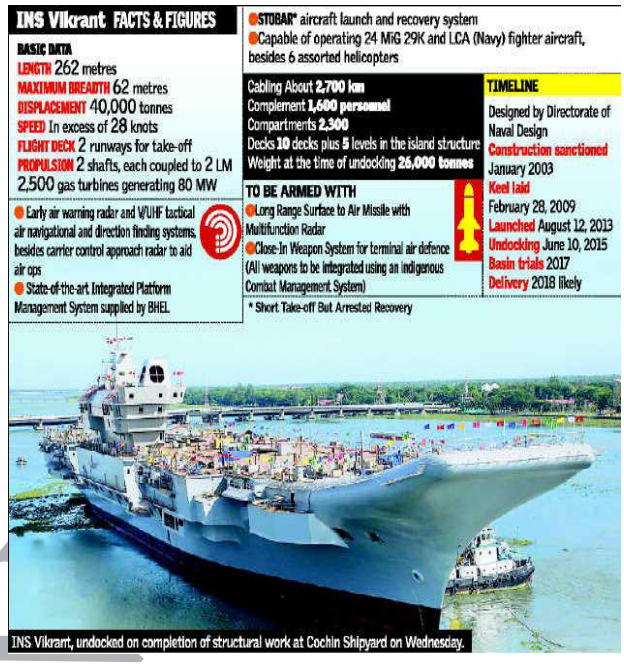

- इसका सफलतापूर्वक पूर्ण होना भारत को विमानवाहक पोत को परिकल्पित और निर्मित करने वाले विश्व के चार विशिष्ट देशों- अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के समूह में सम्मिलित करता है।

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class: I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

डंडेली हाथी अभयारण्य

- भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या के लिए विख्यात कर्नाटक को हाथी परियोजना के अंतर्गत दूसरा हाथी रिजर्व (डंडेली हाथी अभ्यारण्य) प्राप्त हुआ है।

हाथी परियोजना वर्ष 1992 में हाथियों के पर्यावासों को इनकी गतिविधियों वाले संबद्ध क्षेत्रों में संरक्षित करने और अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर व्याप्त मानव-हाथी संघर्षों का समाधान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ हुई थी। हाथियों की उच्च सघनता को देखते हुए कर्नाटक इसमें सम्मिलित किए गए राज्यों में से एक था।

भारत के स्तनधारी जानवर

- भारत स्तनधारियों की 428 प्रजातियों का घर है जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक (लगभग 251 प्रजातियां) भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित या अनुसूचित श्रेणियों में आती हैं।
- विश्व के कुल स्तनधारी प्रजातियों मे से 8% प्रजातियां भारत मे पायी जाती हैं।
- भारत के लगभग 50 प्रतिशत स्तनधारी जीव अपने वितरण स्थलों में अनेक मानवीय दवाबों के कारण कम हो गए हैं।
- विलुप्त स्तनपायी: चीता, वन गर्दभ (Banteng), सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा।

चीता

वन गर्दभ

- गंभीर रूप से विलुप्तप्राय (Critically Endangered): पिग्मी सूअर, मालाबार साइवेट, बड़ा चट्टानी चूहा और कोंडाना चूहा आदि।
- विलुप्तप्राय (Endangered): चीनी पैंगोलिन, फिशिंग कैट, गंगा डॉल्फिन, सुनहरा लंगूर, हिस्पिड हेयर आदि।
- 180 प्रजातियां "कम-ज्ञात" श्रेणी के अंतर्गत हैं और उनके पर्यावास, व्यवहार एवं जनसंख्या के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है।
- **खबरों में क्यों:** हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेड. एस.आई.) विभाग के द्वारा भारत में पायी जाने वाली सभी अनुसूचित या संरक्षित स्तनधारी प्रजातियों के समग्र विवरण तथा सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुतीकरण करने वाली एक पुस्तक प्रकाशित की गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस

- विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यू.ई.डी.) प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रकृति और पृथ्वी ग्रह की रक्षा हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई के तौर पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा संचालित किया जाता है।
- 2015 की थीम थी- सात अरब सपने, एक ग्रह, सावधानी से उपभोग करें'।

यू.पी.एस.सी. 2014

'अर्थ ऑवर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह यू.एन.ई.पी. और यूनेस्को की एक पहल है।
2. यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन, एक घंटे के लिए सभी लाइटों को बन्द कर देते हैं।
3. यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आंदोलन है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

कोंकण रेलवे की पर्यावरण अनुकूल पहल

- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के.आर.सी.एल.) ने अपनी रेलवे सुरंगों में अधिक विद्युत शक्ति-खपत वाले उच्च दबाव सोडियम वाष्प (एच.पी.एस.वी.), लैंपों (70 वॉट) को प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) लैंपों (24 वॉट) से प्रतिस्थापित कर दिया है।
- प्रत्येक 24 वाट का एल.ई.डी. बल्ब, 70 वाट के एस.पी. एस.वी. बल्बों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का केवल एक-तिहाई भाग ही उपभोग करेगा।

- के.आर.सी.एल. द्वारा और भी छोटी-छोटी पहलें की गई हैं जैसे कि रेलवे परिसर से सभी तापदीप्त बल्बों को चरणबद्ध रूप से हटाना और उन्हें अधिक ऊर्जा-कुशल T5 फिटिंग से प्रतिस्थापित करना तथा पंखों के सभी प्रतिरोध-आधारित रेगुलेटरों को इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरों से प्रतिस्थापित करना आदि।
- कोंकण रेलवे ने रत्नागिरि और करमाली स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों और अपने सभी कार्यशील कक्षों और विश्रामालयों में सौर गीजरों की स्थापना के साथ पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा का विकल्प अपनाया है।
- इसने संपूर्ण रेल मार्ग के किनारे वार्षिक आधार पर वृहत् स्तरीय पौधारोपण भी किया है, जिसने इसे "गार्डन रेलवे" के रूप में एक अनूठी पहचान दी है।
- सोडियम वाष्प लैंप एक गैस-विसर्जन लैंप है, जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सोडियम को उत्तेजित अवस्था में उपयोग करता है। इस प्रकार के बल्ब दो प्रकार के होते हैं: कम दबाव और उच्च दबाव वाले। कम दबाव वाले सोडियम लैम्प अत्यधिक कुशल विद्युतीय प्रकाश स्रोत होते हैं, लेकिन उनका पीला प्रकाश उन्हें केवल घर के बाहर के अनुप्रयोगों जैसे कि गली की प्रकाश व्यवस्था के लिए सीमित कर देता है। यद्यपि उच्च दबाव वाले सोडियम लैम्प कम दबाव वाले लैंपों की तुलना में प्रकाश के व्यापक स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, तथापि अन्य प्रकार के लैम्पों की अपेक्षा उनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निम्न कोटि का होता है। कम दबाव वाले सोडियम लैम्प केवल एकवर्णी पीला प्रकाश देते हैं और इसलिए रात में रंगों की पहचान करने को बाधित करते हैं।

टी5 ट्यूबलाइट क्या है?

T12, T8 और T5 ट्यूबलाइटों के लिए नामकरण की एक परिपाटी है जहां "12" सबसे मोटी होती है और "5" सबसे पतली होती है।

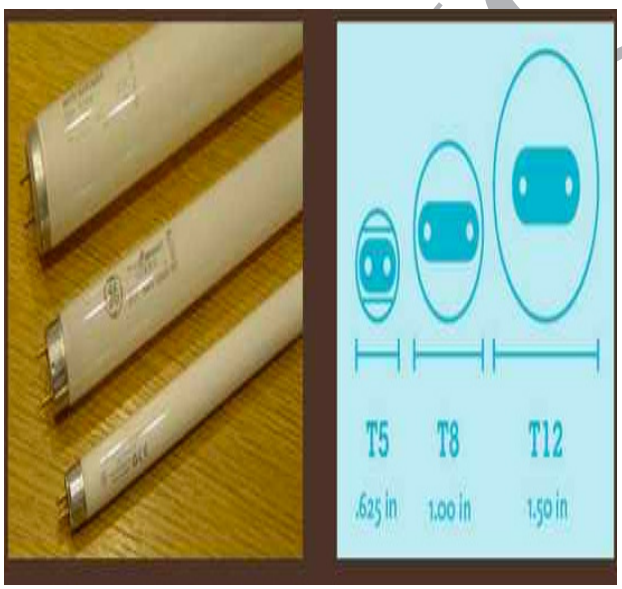

T12 पहले (लगभग 10-15 साल पहले) काफी लोकप्रिय थी। वे अधिक पतले T8 संस्करण से प्रतिस्थापित हो गई थी, जो आज सबसे अधिक लोकप्रिय और सरलता से उपलब्ध संस्करण है। लेकिन T5 आजकल बाजार में उपलब्ध सबसे कुशल (ऊर्जा बचत) विकल्प है। यह लगभग अंगूठे के बराबर मोटी होती है। क्योंकि चूँकि यह एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है, इसलिए आपको इसे बाजार में प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

यू.पी.एस.सी. 2011

सी.एफ.एल. और एल.ई.डी. लैम्प के बीच क्या अंतर है?

1. सी.एफ.एल. प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पारा वाष्प और फॉस्फर का उपयोग करता है जबकि एल.ई.डी. लैम्प अर्द्धचालक सामग्री का उपयोग करता है।
2. सी.एफ.एल. की औसत जीवन अवधि एल.ई.डी. लैंप की तुलना में बहुत अधिक होती है।
3. एल.ई.डी. लैंप की तुलना में सी.एफ.एल. कम ऊर्जा-कुशल होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन- सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

शिकार के फलस्वरूप सॉंगबर्ड संकट में

- ब्रिटेन की बर्डलाइफ इंटरनेशनल और इसकी भारतीय सहभागी, बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.), के हाल के अध्ययनों द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि यूरेशिया में सबसे अधिक संख्या में पायी जाने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक यलो ब्रेस्टेड बन्टिंग 90% तक कम हो गयी है।
- कन्सर्वेसन बायोलोजी नामक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र यह संकेत देता है कि मुख्य रूप से चीन में शिकार करने की असंधारणीय दर ने इनकी संख्या को भयावह रूप से कम करने में योगदान किया है।

- 'येलो ब्रेस्टेड बन्टिंग' कभी यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों पर फैली हुई थी। भारत में इसे मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में भी, शीतकालीन

आगंतुक के रूप में दर्ज किया जाता है। यहाँ यह अक्तूबर के आरम्भ से अप्रैल तक ,छोटे समूह से लेकर 200 तक की संख्या वाले विशाल समूहों में पायी जाती है।

'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' संरक्षण संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों, उनके पर्यावासों और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु लोगों के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को संधारणीय बनाने के प्रयास करती है। यह संरक्षण संगठनों की विश्व की सबसे बड़ी साझेदारी है, जिसमें120 से अधिक सहभागी संगठन हैं।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 15 सितम्बर 1883 को की गई थी। यह भारत में संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान में संलग्न सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक है।

फसलों को हानि पहुँचाने वाले पशु

निरन्तर बढ़ता मानव-पशु संघर्ष फसलों और अन्य मानवीय परिसंपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहा है। इस कारण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) दिए गए क्षेत्र में निश्चित निर्दिष्ट अवधि हेतु फसलों को हानि पहुँचाने वाले पशुओं की घोषणा करने का प्रस्ताव राज्यों से मांगा है।

विधिक प्रावधान

- एक बार यदि कोई प्रजाति फसलों को हानि पहुँचाने वाली घोषित हो जाए तो उस विशिष्ट प्रजाति का बगैर किसी प्रतिबंध के शिकार किया जा सकता है या उसे मारा जा सकता है।
- यदि यह कार्यान्वित किया जाता है तो यह सर्वाधिक संकटग्रस्त और प्रतिष्ठित प्रजातियों जैसे कि बाघों, तेंदुओं और हाथियों को सूचीबद्ध करने वाली अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 को छोड़कर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध वन्य जीवों पर लागू होगा।
- नई परामर्शिका न केवल फसलों को नष्ट करने वाले नीलगायों और जंगली सुअरों पर लागू होगी वरन् फसलों को हानि पहुँचाने वाले जंगली कुत्तों, चीतलों, सांभरों, लंगूरों और पक्षियों के कई प्रजातियों के पक्षियों पर भी लागू होगी।
- मानव-पशु संघर्ष के उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के लिए पहले से ही विधिक प्रावधान हैं। यदि समस्या उत्पन्न करने वाले किसी वन्यजीव को पकड़ा या बेहोश न किया जा सके या उसका स्थान परिवर्तित न किया जा सके तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11(1) A चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को उसके शिकार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत करती है।
- साथ ही अनुसूची II, III या IV के वन्य जीवों के विषय में, यदि वे मनुष्यों या संपत्ति (जिसमें भूमि पर खड़ी फसलें भी सम्मिलित हैं) के लिए खतरनाक बन गए हैं तो प्रमुख वन्यजीव संरक्षक या अधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में उनके शिकार की अनुमति प्रदान कर सकता है।

आलोचनाएँ

- अधिकारी और पर्यावरणविदों को यह भी डर है कि फसलों को हानि पहुँचाने वाली प्रजातियों को मारने के नाम पर संरक्षित प्रजातियों का शिकार भी किया जा सकता है।
- उन्होंने यह भी इंगित किया है कि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चीतल के मांस को नीलगाय या जंगली सूअर के मांस से अलग करके पहचानना आसान नहीं है ।

अशोबा चक्रवात

उत्पत्ति: पूर्व- केंद्रीय अरब सागर

इस चक्रवात की दिशा पश्चिम ओमान की ओर थी। मध्यम से लेकर उच्च वायु अपरूपण की विशेषताओं से युक्त था। लैंडफाल होने के बाद यह कमजोर पड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़ जाने के कारण इसने गुजरात को अधिक प्रभावित नहीं किया है।

प्रभाव

- ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में मूसलाधार वर्षा और बाढ़।
- अधिकांश नमी को तूफान में अवशोषित कर लिए जाने के कारण इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन को बाधित कर दिया था।

महाराष्ट्र ने 'ब्लू मोरमोन' को राजकीय-तितली घोषित किया

- महाराष्ट्र 'राजकीय-तितली' की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- ब्लू मोरमोन एक बड़ी, पुच्छपंख युक्त तितली है, जो मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। भारत में यह प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों, दक्षिण भारत और तटीय पट्टियों में पायी जाती है। यह कभी-कभी महाराष्ट्र के विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी देखी जा सकती है।
- यह कथित रूप से भारत में पायी जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी तितली है। यह 'सदर्न बर्डविंग' की तुलना में केवल थोड़ी ही छोटी है।
- न ही असामान्य है, न ही संकटग्रस्त हैं। पूरे वर्ष भर पायी जाती है किन्तु मानसून और उसके तुरंत बाद सामान्यत: अधिक पायी जाती हैं।

अरुणाचल प्रदेश का राज्य मृदा स्वास्थ्य मिशन

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के उचित प्रलेखन और मृदा मानचित्र को निर्मित करना है।
- अरुणाचल प्रदेश को शत-प्रतिशत जैविक राज्य बनाना।

इसके अतिरिक्त

- इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण भी सम्मिलित है जिससे उन्हें पोषक-तत्वों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन मिल सकेगा।
- यह कार्यक्रम उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और उनके प्रतिकूल प्रभाव की भी जाँच करेगा।

VISION IAS

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में आरम्भ की गई योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार का किसानों को द्वारा कार्ड जारी करने का लक्ष्य है, जिसमें आगतों (इनपुटों) का विवेकपूर्ण उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों का सहयोग करने हेतु प्रत्येक कृषि क्षेत्र हेतु पोषक तत्वों और उर्वरकों के विषय में फसल आधारित अनुशंसाएं प्रदान की जाएंगी। मृदा के सभी नमूने देश भर में विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षित किए जाएंगे। उसके बाद विशेषज्ञ मृदा की क्षमताओं और कमियों (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) का विश्लेषण करेंगे और उनसे निपटने हेतु उपाय सुझाएंगे। परिणाम और सुझाव को कार्डों में प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार की योजना 14 करोड़ किसानों को कार्ड जारी करने की है।

अर्थव्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को चिट फंडों में निवेश करने की अनुमति दी

परिचय

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने निर्णय किया है कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में चिट फंडों में असीमित निवेश कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एन.आर.आई. केवल रूपए में इस प्रकार की निवेश आय वापस प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में चिट फंड के व्यवसाय में लगी कंपनियों में अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति नहीं थी।
- केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि एन.आर.आई. से निधि प्राप्त करने के लिए चिट रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चिट फंडों में ही निवेश किया जा सकता है। भारत में बैंक खाते के माध्यम से सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा इस प्रकार की धनराशि लानी होगी।

प्रभाव

- बहुधा चिट फंडों का ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाता है और पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की भांति हाल के दिनों में अनेक घोटाले उजागर हुए हैं।
- इसलिए अनिवासी भारतीयों को चिट फंडों में उचित तौर पर निवेश करने की अनुमति एक सकारात्मक कदम है क्योंकि अब अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए चिट फंडों के प्रबंधक पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया अपनाएंगे। इससे बैंकिंग रहित ग्रामीण निवेशकों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

चिट फंड

- चिट फंड चिट्टी, कुरी आदि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
- ये अनिवार्य रूपेण बचत संस्थाएं हैं।
- चिट फंडों के नियमित सदस्य होते हैं जो समय-समय पर फंड में अंशदान करते हैं।
- पहले से सहमत कसौटी के आधार पर चिट फंड के कुछ चयनित सदस्यों को आवधिक संग्रह दिया जाता है।
- लाभार्थी का चयन सामान्यत: बोलियों के आधार पर या लाटरी ड्रॉ द्वारा या कुछ मामलों में नीलामी या निविदा द्वारा किया जाता है।
- किसी भी स्थिति में चिट फंड का प्रत्येक सदस्य दूसरा दौर आरंभ होने से पहले अपनी बारी को लेकर आश्वस्त रहता है और कोई भी सदस्य पुन: आवधिक संग्रह पाने का अधिकारी हो जाता है।

विनियम

- चिट फंड व्यवसाय चिट फंड अधिनियम, 1982 के केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होता है।
- इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए हैं। केन्द्र सरकार ने इनके संचालन लिए कोई नियम नहीं बनाया है। इस प्रकार, चिट फंडों का पंजीकरण और विनियमन राज्य सरकारें स्वयं बनाए गए नियमों के अधीन करती हैं।
- कार्यात्मक रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिटफंडों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा के उप-शीर्षक 'विविध गैर-बैंकिंग कंपनी' (एम.एन.बी.सी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इनके लिए कोई अलग नियामकीय ढांचा नहीं रखा है।
- धोखाधड़ी वाली योजनाओं के माध्यम से चिट फंड कंपनी द्वारा की गयी धोखाधड़ी, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। जांच करने और अभियोजन चलाने का अधिकार राज्य सरकारों में निहित है।

इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल का शुभारंभ

परिचय

- भारतीय साधारण बीमा निगम (G.I.C.) और 11 अन्य गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने इंडिया न्यूक्लियर इंश्यारेंस पूल का गठन किया है।
- इसकी धारिता 1,500 करोड़ रुपये होगी।
- न्यू इंडिया एश्योरेंस, पॉलिसी जारी करेगा और पूल में भागीदारी करने वाली सभी प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों की ओर से संचालकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कवर का प्रबंधन करेगा।
- यह पूल वैश्विक रूप से इस प्रकार का 27 वां बाजार पूल होगा।

संदर्भ

- वर्ष 2010 में संसद ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सी.एल.एन.डी) अधिनियम पारित किया था। यह दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक क्षति के लिए परमाणु संयंत्र संचालकों हेतु दायित्व पूंजी का गठन करता है।
- दोषपूर्ण उपकरणों से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं से क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार, सी.एल.एन.डी. अधिनियम के अंतर्गत राज्य-संचालित भारतीय परमाणु उर्जा निगम (NPCIL) को प्रदान किया गया है, जो भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है। को अधिकार प्रदान किया गया है। सी.एल.एन.डी अधिनियम परमाणु क्षति के लिए अधिकतम दायित्व के रूप में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है।
- न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बनाने का विचार वर्ष 2013 के आरंभ में रखा गया था, लेकिन कुछ धाराओं पर हितधारकों के बीच मतभेद के कारण यह फंस गया था।

मुख्य प्रावधान

- प्रस्तावित पॉलिसियां दो प्रकार की होंगी: परमाणु संचालनकर्ता दायित्व (सी.एल.एन.डी अधिनियम 2010) बीमा पॉलिसी और परमाणु आपूर्तिकर्ता विशेष आकस्मिकता (आश्रय के अधिकार के प्रति) बीमा पॉलिसी।
- आरंभ में इसके द्वारा तृतीय पक्ष दायित्व बीमा के निपटान की आशा की जाती है और बाद में संपत्ति और अन्य गर्म क्षेत्रों

VISION IAS

(रिएक्टर क्षेत्रों के अंदर) के जोखिम तक इसका विस्तार किया जाएगा। यह संचालनकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं, दोनों को कवर करेगा। वर्तमान में केवल ठंडे क्षेत्र (रिएक्टर के बाह्य क्षेत्र) आच्छादित हैं।

- यह पूल, सी.एल.एन.डी अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऑपरेटरों और आपूर्तिकर्ताओं हेतु जोखिम स्थानांतरण तंत्र प्रदान करेगा।
- पश्चात्वर्ती चरण में, इस प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय पूलों के लिए यह पूल पुनर्बीमा समर्थन प्रदान करेगा।

प्रभाव

- यह गोरखपुर और हरियाणा के न्यूक्लियर परियोजना के आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ विदेशी भागीदारों की चिंता का भी समाधान करेगा।
- यह दीर्घकाल से लंबित अनेक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

पत्तनों तक संपर्क सुधार हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.)

परिचय

- भारत की तटरेखा 7517 किलोमीटर की है जो विश्व में सबसे बड़े प्रायद्वीपों मे से एक है।
- 12 बड़े और 180 से अधिक मध्यवर्ती तथा गौण पत्तन इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भारत का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार समुद्र से होता है।
- प्रमुख पत्तन केंद्र सरकार (केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा और छोटे पत्तन राज्य सरकारों (नौ तटीय राज्यों में मंत्रालयों) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
- प्रमुख, गौण और मध्यवर्ती के रूप में भारतीय पत्तनों के वर्गीकरण का प्रशासनिक महत्व है। भारत सरकार की संरचना संघीय है और भारत के संविधान के अनुसार, समुद्री परिवहन "समवर्ती सूची" के अंतर्गत आता है जिसका प्रशासन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाता है।
- वास्तव में अल्प या न के बराबर माल की आवाजाही के साथ इन गौण और मध्यवर्ती पत्तनों में से कई केवल "अधिसूचित'' भर ही हैं। चरणबद्ध ढंग से विकसित किए जाने हेतु संबंधित सरकारों द्वारा इन पत्तनों की पहचान की गई है। इनका एक बड़ा अनुपात सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संबंधित है।
- भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास की असीम संभावनाएं हैं।

बंदरगाह और पत्तन के बीच अंतर

- **बंदरगाह :** बंदरगाह समुद्र में आंशिक रूप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उदाहरण के लिए जहाजों को आश्रय उपलब्ध करानेवाली छोटी खाड़ी, नदीमुख या समुद्र का मुहाना।
- **पत्तन:** पत्तन गोदी, घाट और बर्थिंग सुविधाओं सहित तट पर वह स्थान होता है, जहां बड़ी मात्रा में माल समुद्री-मार्गों से प्राप्त किया जाता है और स्थल-मार्ग के माध्यम से देश के आंतरिक भागों में भेजा और वहां से प्राप्त किया जाता है।

पत्तनों की क्षमता : चुनौतियां और संभावनाएं:

- पत्तनों की क्षमता के मुख्य निर्धारक निकासी और पृष्ठ प्रदेश से संपर्क ही हैं।
- कुशल निकासी प्रणाली और पत्तनों से पृष्ठ प्रदेश का निर्बाध संपर्क व्यापार के लिए लॉजिस्टिक की लागत को काफी हद तक कम कर सकता है जिससे भारतीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। (मात्रात्मक रूप से पत्तन देश का 90% से भी अधिक आयात-निर्यात व्यापार संभालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि करने हेतु अति महत्वपूर्ण हैं)।
- पिछले पांच दशकों में प्रमुख पत्तनों में आंतरिक रेल प्रणाली का विकास किया गया है, लेकिन ये पुरानी हो गई हैं और इसके नवीकरण की आवश्यकता है।
- प्रमुख पत्तनों में लगभग 612 कि.मी. का आंतरिक रेल नेटवर्क है। सरकार प्रमुख पत्तनों से रेल के माध्यम से निकासी किए जाने वाले माल का प्रतिशत बढ़ाने की इच्छुक है जो अभी 28% है।
- हालांकि प्रमुख पत्तनों और भारतीय रेलवे ने कई संपर्क परियोजनाओं को हाथ में लिया है लेकिन इन पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने और संसाधनों के पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता है।
- रेल और तटीय/अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से आवागमन में वृद्धि द्वारा पहले से दबावग्रस्त सड़क नेटवर्क पर भार कम करने में काफी सहायक हो सकती है।

प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों के बीच अंतर

- **प्राकृतिक बंदरगाह :** प्राकृतिक बंदरगाह सामान्यत: पर्याप्त रूप से दंतुरित समुद्र तटरेखा पर पाए जाते हैं। यदि कोई मुहाना या पश्चजल खाड़ी अंत:स्थलीय भाग में लम्बी दूरी तक समाया रहता है तो यह खुले समुद्र तट से आगे और अंतर्देशीय स्थान की ओर जाने वाले माल की सस्ती दरों पर ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है।
- **कृत्रिम या मानव निर्मित बंदरगाह :** तटरेखा के साथ समुद्र के तलाकर्षण या समुद्र के सामने दीवार खड़ी करके इन बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है।

एस.पी.वी. पहल

शीपिंग मंत्रालय ने स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) बनाने का प्रस्ताव दिया है जो प्रमुख पत्तनों पर कुशल निकासी प्रणाली उपलब्ध कराने और संपर्क में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- पत्तन संपर्क पर केंद्रित एस.पी.वी. सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के अनुरूप है जिसका लक्ष्य पत्तन आधारित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना और पत्तनों से माल की शीघ्र और कुशल निकासी के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एस.पी.वी. का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकरण

किया जाएगा।

- सभी बारह प्रमुख पत्तनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आर. वी.एन.एल) द्वारा इसका वित्तपोषण किया जायेगा। प्रमुख पत्तनों का योगदान इक्विटी का 90% होगा। शेष योगदान आर.वी. एन.एल. करेगा।
- पत्तन संपर्क परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी संसाधन जुटाना प्रस्तावित है।
- रेल परिवहन और पत्तन लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों से एस.पी.वी. में कार्यबल की पूर्ति की जाएगी।
- नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय के साथ इसका मुख्यालय मुंबई में होगा।
- एस.पी.वी. पूरी तरह से भारतीय रेलवे के समन्वय में काम करेगा और पत्तनों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे के वर्तमान भागीदारी मॉडल का लाभ उठाएगा।
- एस.पी.वी. के कार्य से पत्तनों में माल के ठहराव के समय में पर्याप्त कमी और व्यापार के समग्र लॉजिस्टिक की लागत कम होने की आशा है।

आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं

एस.पी.वी. निम्नलिखित परियोजनाओं का शुभारंभ करेगा:

- प्रमुख पत्तनों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी।
- पत्तनों में निकासी की आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण।
- आंतरिक पत्तन-रेलवे प्रणाली का संचालन और प्रबंधन।
- पत्तन संबंधित रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।

प्रमुख पत्तनों ने लगभग 40 परियोजनाओं की पहचान की है, जिसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं और आंतरिक बंदरगाह-रेल परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिसके लिए 2,372 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी।

सागरमाला

परिचय

- "सागरमाला" पत्तन आधारित विकास मॉडल विकसित करने की भारत सरकार की एक सामरिक, एवं ग्राहक केंद्रित पहल है जिससे भारत की लंबी तटरेखा, भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन जाएगी।
- यह एक ओर जहां वर्तमान पत्तनों के आधुनिक विश्व स्तरीय पत्तनों में रूपांतरण की परिकल्पना करता है, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता के आधार पर नए विश्व स्तरीय पत्तनों के विकास की भी परिकल्पना करता है।
- सागरमाला का उद्देश्य सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से पत्तनों, पृष्ठक्षेत्र और कुशल निकासी प्रणाली का विकास करना है जिससे पत्तन, तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के चालक बन जाएं।
- यह तटीय और नदीय आर्थिक केंद्रों के साथ वस्तुओं और लोगों की ढुलाई के लिए परिवहन के एक प्रमुख साधन के रूप में तटीय और अंतर्देशीय नौवहन के विकास की परिकल्पना करता है।
- परिणाम (आउटकम) के रूप में, सागरमाला परियोजना आयात-निर्यात और घरेलू, दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और निर्बाध परिवहन का विकास करेगी। इसके लिए यह प्रस्ताव करने के लिए समुद्री विकास के साथ औद्योगिक और फ्रेट कॉरीडोर के पृष्ठ-क्षेत्र की परियोजनाओं का एकीकरण करेगी जिससे ग्राहक के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। इससे आयात-निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला परियोजना की अवधारणा और संस्थागत ढांचे के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

सागरमाला पहल का औचित्य

- परिमाणात्मक मात्रात्मक रूप से आज पत्तन भारत के कुल व्यापार के लगभग 90% का संचालन करते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में वाणिज्यिक माल के व्यापार का वर्तमान अनुपात केवल 42% हैं। जबकि जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे विश्व के कुछ विकसित देशों में यह क्रमश: 75% और 70% है। इसलिए भारत में अभी भी माल के व्यापार में वृद्धि की संभावना है।
- इसके अलावा "मेक इन इंडिया" पर वर्तमान में बल देने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वाणिज्यिक व्यापार का अनुपात बढ़ने की आशा है। इस प्रकार, पत्तन आवयश्कतानुसार अग्रिम रूप से भली-भांति अपनी परिचालन दक्षता और क्षमता में वृद्धि करके देश के व्यापार और वाणिज्य क्षमता के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत में सामुद्रिक क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रहीं चुनौतियां

भारत के सामुद्रिक-क्षेत्र का विकास कई विकासात्मक, प्रक्रियात्मक और नीतिगत चुनौतियों से घिरा हुआ है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- देश भर में औद्योगीकरण, व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास में कई एजेंसियों की भागीदारी।
- दोहरी संस्थागत संरचना की उपस्थिति जिससे प्रमुख और गौण पत्तनों का विकास अलग-अलग परियोजनाएं बन गयी हैं।
- प्रमुख और गौण पत्तनों पर निकासी संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव।
- सीमित पृष्ठप्रदेशीय संपर्क जिससे परिवहन और माल के आवागमन की लागत बढ़ जाती है।
- विनिर्माण, शहरी और आर्थिक गतिविधियों के लिए तटीय केन्द्रों का सीमित विकास।
- सीमित सुविधाओं, उच्च लागत और नीतिगत बाधाओं के कारण भारत में तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन की सीमित पैठ।
- पत्तनों पर चयनात्मक मशीनीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं की उपस्थिति।

VISION IAS

- भारत में विभिन्न बंदरगाहों पर पैमाने, गहरे प्रारूप और अन्य सुविधाओं का अभाव।

सागरमाला के प्रमुख घटक

सागरमाला की परिकल्पना एकीकृत आधारभूत सुविधा सहनीतिगत पहल के रूप में की जा रही है जो समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्षमकारी नीतियों, संस्थागत ढांचे और वित्तपोषण तंत्र द्वारा समर्थित अंतर्देशीय/तटीय नौवहन पर केंद्रित भारत के सामुद्रिक-क्षेत्र के विकास के लिए त्रिआयामी दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इसलिए विकास के दृष्टिकोण से सागरमाला परियोजना की अवधारणा में तीन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने का उद्देश्य निहित है :

- पत्तन का आधुनिकीकरण: पत्तन की आधारभूत सुविधाओं और वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण द्वारा वर्तमान पत्तनों का विश्व स्तरीय पत्तनों में रूपांतरण। इसके अतिरिक्त प्रमुख और गौण, दोनों प्रकार के पत्तनों पर सहक्रियाशील विकास के लिए अंतर-अभिकरण (इंटर-एजेंसी) समन्वय सुनिश्चित करना।
- कुशल निकासी प्रणाली: पृष्ठ-प्रदेश के लिए कुशल रेल, सड़क और तटीय/आई.डब्ल्यू.टी संजाल विकसित करना तथा परिवहन के सबसे पसंदीदा प्रकार के रूप में अंर्तदेशीय/तटीय नौवहन को बढ़ावा देना।
- तटीय आर्थिक विकास: निम्नलिखित के द्वारा तटीय क्षेत्रों में तटीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना:
- तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सी.ई.जेड), पत्तन आधारित सेज/एफ.टी.डब्लू.जेड, कैप्टिव सहायक उद्योगों का विकास; और
- तटीय पर्यटन का संवर्धन।

ये तीन परिणाम बदले में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सक्षमकारी नीतियों, सशक्त संस्थागत संरचना और उचित वित्तपोषण और फंडिंग तंत्र द्वारा समर्थित होंगे।

सागरमाला के अंतर्गत पहलें

इन तीन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दो व्यापक पहलें सागर माला को आगे बढ़ाएंगी:

- तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सी.ई.आर) का विकास
- बंदरगाहों में तटीय नौवहन और निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल।

संस्थागत ढांचा

- सागरमाला के संस्थागत ढांचे के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार को समन्वयक की भूमिका प्रदान करनी है। सागरमाला परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पत्तन के विकास सुनिश्चित करने हेतु "सहकारी संघवाद'' के स्थापित सिद्धांतों के अंतर्गत और समन्वय के साथ कार्य करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के लिए इसे मंच प्रदान करना चाहिए।
- राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (एन.एस.ए.सी) की परिकल्पना समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय तथा इस योजना और परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए की गई है। शीपिंग मंत्री, राष्ट्रिय सागरमाला शीर्ष समिति (N.S.A.C.) के अध्यक्ष होंगे, जबकि हितधारक मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा समुद्री पत्तन प्रभारी मंत्री इसके सदस्य होंगे। इस पहल के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यह समिति समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी) को अनुमोदित करेगी और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सागरमाला समन्वय और संचालन समिति (एस.सी.एस.सी) का गठन किया जाएगा। जिसके सदस्य के रूप में नौपरिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यटन, रक्षा, गृह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों, राजस्व, व्यय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, विस्तृत मास्टर प्लान और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय प्रदान करेगी और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ, यह समिति परियोजनाओं के वित्त पोषण और उनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी। यह समिति इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध वित्तपोषण विकल्पों, परियोजनाओं के वित्तपोषण/निर्माण/संचालन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावना का परीक्षण भी करेगी।
- राज्य/मंडल स्तरीय स्पेशल पर्पज व्हिकल (एस.पी.वी) के साथ ही पत्तनों द्वारा स्थापित किए जाने वाले एस.पी.वी. की सहायता हेतु इनके द्वारा आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन को इक्विटी समर्थन प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर, सागरमाला विकास कंपनी (एस.डी.सी) की स्थापना की जाएगी। एस.डी.सी 2 वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किए गए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान भी प्राप्त करेगी। एस.डी.सी. की व्यापार योजना को छह माह की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। एस.डी.सी. फंडिंग विंडों भी उपलब्ध कराएगी और केवल उन अवशिष्ट परियोजनाओं को लागू करेगी जिन्हें किसी अन्य माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है।

सागरमाला के लाभ

- रोजगार सृजन: सागर माला से कुशल और अर्ध कुशल जनशक्ति के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। औद्योगिक कलस्टरों और पार्कों, विशाल बंदरगाहों, सामुद्रिक सेवाओं, लॉजिस्टिक सेवाओं और सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाह आधारित विकास से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
- औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि: जहाजों, मालवाहक जहाजों, क्रूज जहाजों, नौकाओं के निर्माण से औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि

VISION IAS

होगी और रोजगार सृजन में भी सहयोग मिलेगा।

- संधारणीय विकास: सागरमाला के कार्यान्वयन का परिणाम राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ समुदायिक और ग्रामीण विकास आदिवासी विकास रोजगार सृजन, मत्स्य पालन, कौशल विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने आदि से संबंधित उनकी वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सहक्रिया व समन्वय करके तटीय आर्थिक प्रदेशों (सी.ई.जेड) में रहने वाली आबादी का धारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम होगा। आज लगभग 70 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं।
- सरलीकृत प्रक्रिया: इसका लक्ष्य भी माल के आवागमन के लिए पत्तनों पर प्रयुक्त प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना है जिससे माल के त्वरित और निर्बाध आवागमन संभव होगा।

इसलिए सागरमाला परियोजना का उद्देश्य प्रमुख और अन्य पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करना और इन्हें कुशल बनाने के लिए इनका आधुनिकीकरण करना है। इससे इन्हें पत्तन आधारित आर्थिक विकास का चालक बनने, वर्तमान और भविष्य की परिवहन परिसंपत्तियों का समुचित उपयोग करने और (सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय मार्गों सहित) परिवहन के लिए नई लाइनों/संपर्कों का विकास, लॉजिस्टिक केंद्रों की स्थापना और आयात-निर्यात व घरेलू व्यापार में पत्तनों द्वारा सेवित उद्योगों और उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने में सक्षम बनाया जाएगा।

प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण

सागर माला परियोजना, सरकार के अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रम/योजनाओं के साथ भी संरेखित है तथा निम्नलिखित डिलिवरेबल्स (प्रदेय) कर्योक्रमों के साथ मेल भी खाती है:-

- **स्मार्ट शहरों का विकास:** विशाखापत्तनम, कृष्णापट्टनम जैसे शहरों का आंध्र प्रदेश में सी.ई.आर का केंद्र बिंदु बनने की संभावना है। इसी प्रकार अन्य सी.ई.आर स्मार्ट शहरों में अन्य बंदरगाह शहरों/ समूहों के योजनाबद्ध विकास की दिशा में काम करेंगे।
- **गंगा जलमार्ग और स्वच्छता परियोजनाएं**: सागरमाला पृष्ठप्रदेशीय आवागमन (जिसका N.W-1 एक महत्वपूर्ण घटक है) के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ समुद्र जनित माल की निर्बाध संपर्कता की परिकल्पना करता है। इसके अतिरिक्त, सागर माला नदीय व्यापार, परिवहन और पर्यटन के समग्र विकास की परिकल्पना करता है। यह प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्देशीय सी.ई.आर. में पर्यटन सर्किट का विकास करने और संगठित औद्योगीकरण की सहायता करने के लिए गंगा की सफाई और इसके सौंदर्यीकरण हेतु चल रही परियोजनाओं से लाभ उठाएगा।
- **सुशासन:** सागरमाला का लक्ष्य प्रयोक्ताओं और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु आई.टी. और संगठनात्मक सशक्तिकरण के माध्यम से लेन-देन को ऑनलाइन करना, प्रक्रियाओं का पुनर्गठन और निर्बाध प्रशासन को स्थापित करना है।
- **मेक इन इंडिया:** सी.ई.आर.के विकास के फलस्वरूप वर्तमान और नए तटीय औद्योगिक समूहों, सेज, एफ.टी.डब्लू.जेड और पत्तन की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का एकीकरण विकास भारत में निर्यातोन्मुख विनिर्माण को सक्षम बनाएगा।

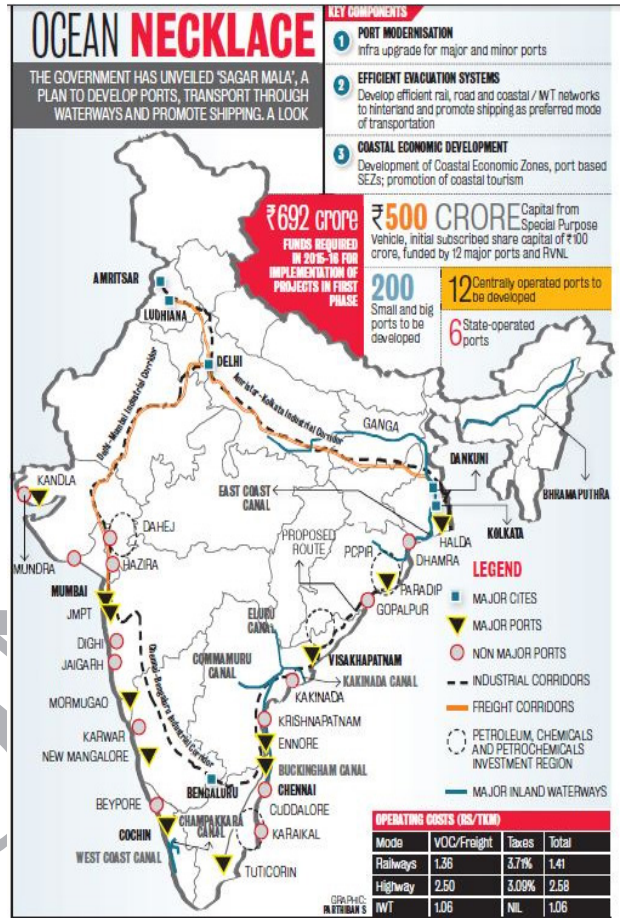

- लेन-देन की लागत कम करना: सरलीकृत प्रक्रियाओं के उपयोग और निर्बाध सूचनाओं तथा वस्तुओं के आवागमन से लेन-देन की लागत के कम होने और व्यवसायों एवं व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की आशा की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन से भारत को स्थायी समाधान चाहिए

- दिसंबर में नैरोबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत आग्रह करेगा कि दिसंबर तक, पूर्व मे किये गए वादे के वचनबद्धता के तहत खाद्यानों के सार्वजनिक भण्डारण के विवाद पर स्थायी समाधान हेतु सभी देश सहमत हों यद्यपि विकासशील देशों को स्थायी राहत प्रदान की जा चुकी हैं।
- भारत शांति खंड (पीस-क्लॉज) के वर्तमान प्रावधान से संतुष्ट नहीं है। भारत का कहना है कि हमें स्थायी समाधान की आवश्यकता

है। दिसंबर 2013 में विश्व व्यापार संगठन की बाली बैठक में, भारत को अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ ऐसे "शांति खंड" पर वार्ता में सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमे इसे अगले 4 वर्षों (जिस अवधि के भीतर स्थायी समाधान तैयार हो जाता) के लिए विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों की ओर से कानूनी चुनौती से उन्मुक्ति के साथ-साथ अपने एम.एस.पी. के लिए 10% सीमा से परे जाने की अनुमति प्राप्त हुई है।

- खाद्यान्न की सार्वजनिक भण्डारण का मुद्दा गरीब देशों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा निर्धारित कीमत पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद के ईर्द-गिर्द घूम रहा है। चूंकि इन कीमतों में काफी हद तक सरकारी सब्सिडी सम्मिलित होती है, इसलिए इन सब्सिडियों पर अधिकतम सीमा होती है क्योंकि इससे वैश्विक कीमतें विकृत हो सकती है। हालांकि विकासशील देशों का आग्रह है कि उन्हें किसी सीमा के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। वे इस प्रकार के भण्डारण को खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने का तर्क देते हैं।
- विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के इस नियम का विरोध कर रहें हैं कि किसानो के लिए सब्सिडी की सीमा 1986-88 की कीमतों के आधार पर कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 10% हो। उनका कहना हैं कि आधार वर्ष अब पुराना हो चुका है और अपने लाखों गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारित करने की छूट दी जानी चाहिए।
- नैरोबी में भारत विकसित देशों द्वारा प्रदत्त उच्च कृषि सब्सिडी का मुद्दा भी उठाएगा और विश्व के सबसे गरीब देशों-तथाकथित अल्प विकसित देशों (एल.डी.सी) के लिए बाजार तक और अधिक पहुंच उपलब्ध कराने की मांग करेगा।

सड़कों के वित्तपोषण हेतु नवीन प्रतिमान:

सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई उपायों का परीक्षण कर रही है। केंद्र सरकार की यह पहल ऐसे समय में आयी है जब निजी सड़क विकासकर्ताओं ने पिछले कुछ वर्षों से भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और धन की कमी के कारण सड़क परियोजनाओं में निवेश करना बंद कर दिया है। साथ ही, प्रधानमंत्री ने अगले 6 महीनों में 3.5 लाख करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाए आवंटित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है।

सरकार ने भारतमाला परियोजना को हरी झंडी दे दी है जिसका उद्देश्य 56,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीमावर्ती क्षेत्रों में 5,600 कि.मी. नई सड़कों का विकास करना है। धार्मिक और पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क में वृद्धि करने हेतु 44,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4,700 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण की आशा है। इसके अतिरिक्त, देश में 676 जिला मुख्यालयों में से 100 जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सरकार की पहल:

- स्विस चुनौती प्रणाली (एस.सी.एस): एस.सी.एस कोर क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की पहलों को सूचीबद्ध करने के लिए बनायी गयी बोली लगाने की प्रक्रिया है। इस मानक के अनुसार, निजी निवेशक मौलिक रूप से किसी योजना की अवधारणा की स्वतंत्र रूप से संकल्पना कर सकते है और सरकार से परियोजना के मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव कर सकते हैं। अवसंरचना कंपनी (उदाहरण के लिए पत्तन का स्वामित्व रखने वाली) पहुँच में सुधार के लिए लास्ट माइल सड़क का विकास करने के लिए उत्सुक हो सकती है।
- एस.सी.एस तीसरे पक्ष को परियोजना के विकास की अत्याधिक वर्धित लागत से बचने के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान परियोजना के लिए श्रेष्ठतर प्रस्ताव करने (चुनौती देने) की अनुमति देता है। हालांकि, मूल प्रस्तावक को पहले मना करने और तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए किसी श्रेष्ठतर प्रस्ताव का काउंटर-मैच करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, एस.सी.एस. अन्यत्र बहुत अधिक सफल सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रतिमान के अंतर्गत निजी संस्था के लिए भारी भरकम प्रारंभिक निवेश करना आवश्यक होता है जिसे वह संविदा जीते बिना वापस प्राप्त नहीं कर सकता है।
- जोखिम की भरपाई के लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model): ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सड़क, परिहवन, तथा राजमार्ग मंत्रालय हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के अंर्तगत राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन करेगा। हाल ही में कल्पित इस प्रतिमान के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अग्रिम वित्तपोषण में कटौती की जाएगी और जोखिम का उच्च अनुपात सरकार को अंतरित किया जाएगा। इसके अंर्तगत सरकार कार्य आरभ करने के लिए विकासकर्ता को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराएगी। शेष निवेश ठेकेदार को करना होगा। एन.एच.ए.आई. चुंगी का संग्रहण करेगी और 15-20 वर्षों की अवधि में कुल राशि किश्तों में वापस करेगा।
- निधि जारी करने के लिए निकास नीति: सी.सी.ई.ए. ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए संभावित पूंजी के रूप में लॉक्ड-इन-इक्विटी जारी करने हेतु निर्माण के पूरा हो जाने के दो वर्ष बाद राजमार्ग परियोजनाओं से बाहर निकलने के लिए विकासकर्ताओं को अनुमति देते हुए निकास नीति का अनुमोदन किया है।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब निजी क्षेत्र की रुचि पी.पी.पी. परियोजनाओं में कम हो गई है। अधिकांश परियोजनाएं एक भी बोली आकर्षित करने में नाकाम रही हैं।
- रुकी हुई परियोजनाओं के लिए एन.एच.ए.आई का ऋण: अतिरिक्त इक्विटी की कमी या धनराशि आगे चुकाने में रियायती अक्षमता के कारण ठप पड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए सी.सी.ई.ए. ने अब वापसी की पूर्व निर्धारित दर पर अपने कोष से ऋण देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया है।
- सरकार से सरकार का वित्तपोषण: मंत्रालय, सड़क विकास कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, सरकार से

VISION IAS

सरकार को वित्तपोषण के मानदंडों को उदार बनाने और अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वर्तमान नियमों के अंतर्गत विदेशों के एक्जिम (आयात-निर्यात) बैंकों को अपने गृह राज्यों में स्थित रियायती को भारत में राजमार्ग परियोजनाओं का विकास करने के लिए संसाधन उधार देने की अनुमति नहीं है। किसी को भी खुली निविदा से गुजरना पड़ता है। परीक्षित किए जा रहे प्रतिमान के अनुसार, राजमार्गों के आर्थिक रूप से व्यवहार्य भागों की पहचान की जा सकती है और इन क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी को आकर्षित करने हेतु इन्हें वित्त पोषण के प्रस्तावित नियम के अनुसार विकास हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

पिछले वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न

1. निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पत्तन हाल ही में चालू किया गया है?

(a) आंध्र प्रदेश (b) कर्नाटक

(c) केरल (d) तमिलनाडु

2. भारत में, पत्तनों को प्रमुख और गौण पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक गौण पत्तन है?

(a) कोच्चि (कोचीन) (b) दाहेज

(c) पारादीप (d) न्यू मंगलौर

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

राष्ट्रपति की स्वीडन यात्रा

भारत के राष्ट्रपति ने स्वीडन की यात्रा की। भारत के किसी भी राष्ट्रपति द्वारा स्वीडन की यह पहली राजकीय यात्रा थी।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए:

1. संधारणीय शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन।
3. ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान में सहयोग के लिए आशय पत्र।
4. भारत और स्वीडन के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान समय में जारी सहयोग के लिए एक अनुपूरक समझौता, जिससे दोनों पक्षों के बीच फर्माकोविजिलेंस, सम्बन्धित मामलों में इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति, क्लीनिकल ट्रॉयल, औषधि, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक किट, प्रसाधन और स्वच्छता उत्पाद तथा अच्छे उत्पादन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित सूचना और अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान हेतु संवर्द्धित द्रिपक्षीय सहयोग शामिल है।
5. भारत के विभिन्न विश्विद्यालयों/संस्थानों और स्वीडन में उनके सहयोगी विश्विद्यालयों/संस्थानों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु 16 समझौता ज्ञापन।

यह आशा व्यक्त की जा रही है कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच परस्पर सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होंगे। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थाई सदस्यता की मांग का भी समर्थन किया है और अग्रसक्रिय रूप से प्रयास भी किये हैं जिसके कारण भारत को आर्कटिक (उत्तर ध्रुवीय) परिषद् में स्वीडन की अध्यक्षता के समय पर्यवेक्षक का पद प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई हैं।

राष्ट्रपति की बेलारूस यात्रा:

भारत के किसी राष्ट्रपति की बेलारूस की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 17 सूत्री रोड मैप पर हस्ताक्षर किये गए, जिसका उद्देश्य दोनो देशों के बीच आपसी विश्वशनीयता और भरोसे को पुष्ट करना था।

राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और बेलारूस के बीच निम्नलिखित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए:

1. भारत और बेलारूस के बीच आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा मामलों के लिए एक रोड मैप।
2. भारत और बेलारूस के बीच आय और सम्पत्ति(पूँजी) पर लगने वाले करों के संबंध मे दोहरे कराधान से बचने व राजकोषीय कर अपवंचन की रोकथाम हेतु संबंधित समझौते में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल।
3. भारतीय मानक ब्यूरो और बेलारूस के राजकीय मानकीकरण समिति के बीच मानकीकरण सूचना सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
4. प्रसार भारती और बेलारूस गणराज्य की राष्ट्रीय राजकीय टेलीविजन और रेडियो कम्पनी (बेल्टर रेडियो कम्पनी) के बीच प्रसारण सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
5. भारत के सेबी और बेलारूस गणराज्य के वित्त मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
6. भारत के कपड़ा मंत्रालय और बेलारूस के राजकीय संस्थान के बीच हल्के औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण और विपणन पर समझौता ज्ञापन।

दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र, धातु एवं खनन, पोटाश ऊर्वरक क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने, कपड़ा उद्योग में कच्चे माल को बढ़ावा देने, बेलारूस द्वारा भारत में सार्वजनिक विद्युत यातायात व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं कृषि और कृषि प्रसंस्करण में सहयोग देने के भी निर्णय लिए हैं। छात्रों के आदान-प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय भी इन समझौतों में सम्मलित किये गए हैं।

भारत और यू.एस. के बीच नयी 10 वर्षीय रक्षा प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर:

- भारत और यू.एस ने रणनीतिक (सामरिक) रूप से महत्वपूर्ण नये 10 वर्षीय रक्षा प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें जेट इंजन, विमान वाहक पोत के डिजाईन एवं निर्माण की परिकल्पना, विनिर्माण समेत अन्य रक्षा उपकरणों, प्रौद्यौगिकी के संयुक्त विकास और विनिर्माण की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है।
- दोनों पक्षों ने 2 परियोजनाओं को भी अंतिम रूप दिया है, वे हैं - हाई-टेक मोबाइल पॉवर सोर्स तथा रासायनिक एवं जैविक युद्ध से बचने के लिए अगली पीढ़ी के सुरक्षा परिधान।
- समुद्री सुरक्षा से लेकर संयुक्त प्रशिक्षण जैसे विषयों वाले जिस समझौते की रूपरेखा, राष्ट्रपति बराक ओबामा की जनवरी यात्रा के समय बनाई गई थी, उस पर रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और भारत यात्रा पर आये अमेरिका के रक्षा सचिव ऐशटन कार्टर ने हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा:

भारतीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ बंगलादेश की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौते/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए :

VISION IAS

1. भूमि-सीमा समझौता - 1974 के भूमि समझौते के अनुसमर्थन (पुष्टि) तथा इसके 2011 के प्रोटोकॉल संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि-सीमा के सीमांकन संबंधी समझौते तथा 1974 के भूमि सीमा समझौते व इसके 2011के प्रोटोकॉल संबंधी मामले; इन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के साथ ही प्रभावी हो गए।

2. भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्रतटीय नौपरिवहन समझौता: इस समझौते से भारत और बांग्लादेश के बंदरगाहों से सीमापारीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच शिपिंग कार्गो (नौपरिवहन से माल) कोलम्बो/सिंगापुर/क्लांग बंदरगाहों से होकर आता है। समुद्रतटीय नौपरिवहन से समय की बचत भी होगी और भूपत्तनों पर भीड़ में कमी आएगी।

3. द्विपक्षीय व्यापार समझौता (नवीनीकरण): इस समझौते पर पहले वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किये गए थे। इसके नवीनीकरण से दोनों देशों के बीच सड़क, जल मार्ग और रेलमार्ग से व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं और यह भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों को एक मार्ग भी उपलब्ध कराता है। यह बांग्लादेशी कार्गो (जहाजों) को भारत से होकर नेपाल तथा भूटान मे प्रवेश की सुविधा भी उपलब्ध करता है इस समझौते की अवधि 5 वर्ष की है और उसके स्वत: नवीनीकरण के प्रावधान भी हैं।

4. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और बांग्लादेश के मानक और परीक्षण संस्थान (BSTI) के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग समझौता: इस समझौते से व्यापार में आने वाली सभी तकनीकी बाधाओं के समाप्त होने की आशा है और एक-दूसरे के देशों के उत्पादों की मंडियों तक सहज पहुँच में वृद्धि होगी।

5. ढ़ाका-शिलांग-गुवाहाटी के बीच बस सेवा के लिए समझौता और इसका प्रोटोकॉल: इस समझौते से ढ़ाका और गुवाहाटी के बीच बस सेवा प्रदान की जायेगी, जो शिलांग और सिलहट में भी रुकेगी। इससे लोगों का एक-दूसरे से सीधा सम्पर्क बढ़ेगा।

6. कोलकाता-ढ़ाका-अगरतला बस सेवा के लिए समझौता और इसका प्रोटोकॉल: इस समझौते के अंतर्गत अगरतला और कोलकाता के बीच सीधे यात्री बस सेवा का संचालन किया जायेगा जो ढ़ाका में भी रुकेगी। इससे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राजधानियों के बीच यात्रा की दूरी में कमी आयेगी।

7. अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के लिए प्रोटोकॉल (नवीनीकरण): इस प्रोटोकॉल पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के लिए जल मार्गो के वाणिज्यक उपयोग और दोनों देशों के दो स्थानों के बीच तथा उनके क्षेत्रों से होकर किसी तीसरे देश की परस्पर सहमति के आधार पर वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए मार्ग प्रदान किया जायेगा। इस प्रोटोकॉल की अवधि 5 वर्ष की है और इसमें स्वत: नवीनीकरण का प्रावधान भी है।

8. भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच वर्ष 2015–2017 के लिए सांस्कृतिक का आदान-प्रदान कार्यक्रम।

9. भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए समझौता ज्ञापन: भारत ने बांग्लादेश के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट (नई ऋण व्यवस्था) का प्रबंध किया है। बांग्लादेश की ऐसी परियोजनाएं जो सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं अर्थात् विद्युत, रेलवे, सड़क परिवहन, सूचना एवं संचार, नौपरिवहन, स्वास्थ्य, और तकनीकी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस नई लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

10. भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव और मोंगला पत्तनों से भारतीय व्यापारिक वस्तुओं की ढुलाई के लिए समझौता ज्ञापन: इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत बांग्लादेश भारत को अपने चटगांव और मोंगला पत्तनों के उपयोग की अनुमति देगा। ताकि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में वस्तुएं ले जाई जा सकें। चटगांव और मोंगला पत्तनों से वस्तुओं की ढुलाई के लिए मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जायेगा।

11. बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नीली-अर्थव्यवस्था और समुद्री-सहयोग हेतु भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन: इस समझौते का उद्देश्य नीली-अर्थव्यवस्था और समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान के लिए सहयोग तथा इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना करना है।

12. मानव तस्करी तथा जाली नोटों की तस्करी और प्रसार को रोकने हेतु परस्पर सहयोग के लिए भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन।

13. बांग्लादेश में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन: इसका उद्देश्य दोनों देशों की व्यापारिक इकाइयों की भागीदारी और सहयोग से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना है। दोनों देश अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के पश्चात् दोनों देशों के

VISION IAS

निवेशकों/कम्पनियों/व्यापारिक समुदायों को बांग्लादेश स्थित भारतीय आर्थिक क्षेत्र में व्यपारिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

14. भारत और बांग्लादेश के तटरक्षकों के बीच समझौता ज्ञापन: भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा पर सहमति होने के पश्चात् इस समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त रूप से समुद्री-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और समुद्री अपराध रोकने के लिए दोनों देशों के तटरक्षक एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे।

15. सार्क के इंडिया एंडाउमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज-साउथ एशिया [IECC-SA], के तहत बांग्लादेश के 70000 उन्नत कूक स्टोव की आपूर्ति हेतु एक परियोजना पर समझौता ज्ञापन प्रदान किये जायेंगे।

16. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग: शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए यह पहला व्यापक दस्तावेज है। इस आशय कथन (statement of Intent) में शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग में वृद्धि के लिए व्यापक ढांचे का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार से कई विस्तृत क्षेत्रों को सम्मलित किया गया और यह आशा व्यक्त की जा रही है कि इनसे द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार होगा। तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के लम्बित मुद्दे पर, भारत ने एक संयुक्त वक्तव्य में इसके यथाशीघ्र समाधान हेतु अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। लम्बे समय से बराक नदी पर तिपाईमुख जल परियोजना को रोकने की बांग्लादेश की लम्बित मांग पर भी भारत ने विचार किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के एकपक्षीय निर्माण आरंभ नहीं करने की भी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम

ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे विश्व में कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत की तुलना में स्वच्छ (हरित) विद्युत की लागत को कम करना है। इस उद्देश्य को 10 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के लिए हरित ऊर्जा के निरूपण, भंडारण, अनुसंधान और विकास पर प्रतिवर्ष 15 बिलियन ब्रिटिश पाउंड का व्यय करना होगा। यह राशि अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत चन्द्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने में आये खर्च के बराबर है।

- यह योजना ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों के दिमाग की उपज है, जिनमें सर डेविड किंग (वर्तमान समय में ब्रिटेन की ओर से जलवायु परिवर्तन के दूत हैं), लार्ड निकोलस स्टर्न, लार्ड अडेयर टर्नर और ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के भूतपूर्व प्रमुख लार्ड जॉन ब्राउन शामिल हैं।
- G-7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के 41वें शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम पर चर्चा की गयी थी।
- तुर्की में नवम्बर 2015 में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम में शामिल होने वाले देशों की घोषणा की जाने की आशा है।

भारत ने भी इस कार्यक्रम में सम्मलित होने की इच्छा प्रकट की है। जीवाश्म ईंधनों के बहुत ज्यादा उपयोग की वजह से भारत और चीन दोनों ही इस कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु रहेंगें।

कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान हेतु समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर

भारत वित्तीय लेखा जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौता (एम.सी.ए.ए.) में शामिल हो गया।

जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान पर नए वैश्विक मानकों को साझा रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के रूप में जाना जाता है। यह अपने विषय क्षेत्र में अति व्यापक है और इस समझौते के भागीदारों पर व्यापक और विस्तृत वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान करने का उत्तरदायित्व डालती है। इसमें संस्थाओं के नियंत्रक व्यक्तियों और उससे लाभ प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में जानकारी भी शामिल है।

इससे पहले, देशों के बीच कर चोरी और अन्य वित्तीय अपराधों से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान उन देशों के विशेष अनुरोध पर ही किया जाता था। जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के पूरी तरह से लागू हो जाने के पश्चात्, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जायेगी जिसके अंतर्गत करदाताओं की विस्तृत जानकारी समय-समय पर आय के स्रोत वाले देश द्वारा करदाता के निवासी देश को भेजी जायेगी।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों से भारत-चीन के विश्वास बहाली के उपायों में रुकावट आ सकती है

भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के स्पष्टीकरण पर जोर देने और चीन द्वारा सीमा पर सैन्य बलों के बीच सेना तैनाती के "आचार संहिता" के विस्तार पर जोर देने से भारत और चीन के बीच विश्वास बहाली के उपायों को लेकर अगले दौर की बातचीत में संभवत: एक नई चुनौती सामने आने वाली है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पष्टीकरण का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछले महीने की चीन की यात्रा के दौरान उठाया था। यह विश्वास बहाली की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 1993 के शांति और प्रशांति के समझौते में सम्मलित किया गया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण की भावना का अभिप्राय सीमा पर असावधानीवश होने वाली घटनाओं को रोकना है। भारत का पक्ष यह है कि जब तक एक विश्वसनीय संदर्भ बिंदु उपलब्ध नहीं होगा। (जो केवल एक स्पष्ट वास्तविक नियंत्रण

VISION IAS

रेखा ही प्रदान कर सकती हैं) सीमाओं पर जमीन या आकाश से ऐसी असावधानीपूर्ण घटनाओं का संकट हमेशा बना ही रहेगा।

दूसरी ओर चीन की प्राथमिकता वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण प्रक्रिया के स्थान पर आचार संहिता की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसके प्रतिरोध में भारत का कहना है दोनों पक्षों की बीच वर्ष 2005 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए हस्ताक्षर किये गए विश्वास बहाली की प्रक्रिया के प्रोटोकॉल में आचार संहिता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। व्यापक प्रोटोकॉल में सभी कल्पनीय आकस्मिक सम्भावनाओं और उनके समाधान के उपायों को सम्मिलित किया गया है।

यद्यपि चीनी पक्ष द्वारा सितम्बर 1993 से लेकर नवम्बर 2006 तक हस्ताक्षर किये गए सभी दस्तावेजों में वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्टीकरण के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गयी थी, फिर भी कुछ 'अस्पष्ट' कारणों से वर्ष 2008 से अब तक वह इसके समर्थन से बच रहा है। वर्ष 1996 के विश्वास बहाली प्रक्रिया समझौते के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से आरम्भ हो गयी थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी अनुभवों के आधार पर उन मानचित्रों के आदान-प्रदान करने पर सहमति हुई थी, जिनके आधार पर "जहाँ तक संभव हो सके पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट किया जा सके।" मध्य-क्षेत्र में स्पष्टीकरण की प्रक्रिया समग्र रूप से पूरी हो चुकी थी, परन्तु पश्चिमी क्षेत्र में स्पष्टीकरण में समस्याएं आ गयीं। पूर्वी क्षेत्र में स्पष्टीकरण की प्रक्रिया को लेकर सहमति भी बन गयी थी, परन्तु बाद में पूरी प्रकिया रोक दी गई है।

मोटर वाहन समझौता (MVA)

भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने आपस में यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों के यातायात को विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते (MVA) पर हस्ताक्षर किया है।

- सार्क समूह के इन चारों देशों, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बी.बी.आई.एन.) के बीच हुए इस समझौते से इस क्षेत्र को एकीकरण का लाभ मिलेगा और इनके आर्थिक विकास के लिए इन देशों की सीमाओं के आर-पार लोगों और वस्तुओं माल के आने और जाने के लिए अबाधित मार्ग प्रशस्त होगा।
- बी.बी.आई.एन. के इस ढांचे को उप-क्षेत्रीय सहयोग की संयोजकता के लिए एक ऐसे उपयुक्त प्रतिरूप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें यातायात और ऊर्जा दोनों ही सम्मलित हैं।
- इसे पूरा करने के लिए अब सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ऊर्जा ग्रिड के ढांचों, संचार व्यवस्था और वायुसेवा इत्यादि साधनों के सम्पर्कों का निर्माण और उपलब्ध अवसंरचना में सुधार करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमाओं के आर-पार सेवाओं, पूँजी, प्रौद्योगिकी और लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। इन सब को साथ लेकर चलने से हमारे पूरे क्षेत्र के एकीकरण और विकास हेतु असीमित अवसर प्राप्त होंगे।

भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच भी इसी प्रकार के एक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया है। एक बार इस पर हस्ताक्षर हो जाने से यात्री और कार्गो के सुचारू रूप से आवागमन हेतु भारत को आसियान के विशाल बाजार तक पहुँच मिल जाएगी।

तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा

भारत और तंजानिया ने आंतकवाद से निबटने के लिए आपसी सहयोग को सशक्त करने हेतु एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ शांतिपूर्ण और समृद्ध अफ्रीका में दोनों देशों की समान रुचि है। भारत ने तंजानिया के सशक्त और समृद्ध प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अपने सहयोग का प्रस्ताव दिया है। भारत ने तंजानिया के नागरिकों के लिए ई-पर्यटन वीजा की भी घोषणा की है।

दोनों देशों ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं:

1. पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन – पर्यटन और अतिथि सत्कार क्षेत्रों में परस्पर द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि के लिए।
2. लेक विक्टोरिया पाईपलाइन परियोजना के विस्तार के लिए एगिज्म बैंक और तंजानिया की सरकार के बीच 268.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता किया गया है।
3. भारत और तंजानिया के बीच जलविज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और जल से सम्बन्धित मूलभूत आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए प्रोटोकॉल। जलविज्ञान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और आंकड़ों के आदान-प्रदान में सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और आधारभूत ढांचे को और अधिक सशक्त किया जायेगा।

आंतकी वित्तीयन को रोकने में भारत असफल रहा है : अमेरिका

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत पर एंटी-मनी लांड्रिंग (AML) और काउंटर टेररिस्ट फायनेंसिंग (CFT) कानूनों को प्रभावी रूप से लागू न कर पाने का आरोप लगाया है।

भारत द्वारा अपनी घरेलू एंटी-मनी लांड्रिंग - काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयासों के बावजूद सरकार द्वारा अभी इस विधेयक को, विशेषकर आपराधिक दोषसिद्धि के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना शेष है।

अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार हवाला-विरोधी मामलों के अंतर्गत अभियोजन को केवल गैर-वित्तीय व्यवसायों तक ही सीमित रख रही है और मनी-लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम मे संशोधन के 2 वर्ष

VISION IAS

पश्चात् भी सरकार ने सभी उद्योगों द्वारा इसके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं। इन निष्कर्षों को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की "कंट्री टेररिज्म रिपोर्ट 2014" में उजागर किया गया है।

वर्ष 2014 में ब्रिटेन के लिए भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्त्रोत

यू.के. ट्रेड एंड इंडस्ट्री (यू.के.आई.टी.) द्वारा जारी की गयी वर्ष 2014-15 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक था। भारत ने 122 परियोजनाओं में निवेश किया। अमेरिका (564 परियोजनाओं) और फ्रांस (122 परियोजनाओं) क्रमश: पहले और दूसरे बड़े निवेशक थे। इस वर्ष के दौरान भारत से निवेश में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारतीय कम्पनियों द्वारा निवेश के मुख्य क्षेत्रक स्वास्थ्य सेवा, कृषि-प्रौद्योगिकी, भोजन और पेय पदार्थ हैं। यू.के.आई.टी. की वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में 74 देशों ने ब्रिटेन में 1 ट्रिलियन पाउंड का रिकार्ड निवेश किया है, जिससे यह यूरोप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है।

भारत और थाईलैंड

विदेश मंत्री की थाईलैंड यात्रा के समय दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इनमे दोहरे कराधान से बचने की संधि और वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन (सत्यापन) हेतु दस्तावेजों का आदान-प्रदान शामिल है। प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण हेतु वैध रूपरेखा तैयार की गई है।

- दोनों पक्षों ने नालंदा विश्विद्यालय की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से थाईलैंड भी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग करने वाले पूर्वी-एशिया के अन्य देशों में सम्मलित हो गया है।
- इस यात्रा की एक और महत्वपूर्ण घटना थाई विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पीठ की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है। यह समझौता ज्ञापन भारत के आयुष मंत्रालय और थाईलैंड की रंगसित विश्वविद्यालय के बीच संपन्न हुआ है, इसके अंतर्गत भारत की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, थाई विश्विद्यालय में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक पीठ की स्थापना करेगी।
- दोनों देशों के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को विदेश मंत्री ने कुछ इस प्रकार प्रकट किया, कि "हमारी एक्ट ईस्ट की नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट की नीति पूरी तरह से एक-दूसरे की पूरक हैं।"

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगि-की समझौता

दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सामाजिक नवोन्मेष, खगोल विद्या, कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग के लिए किये गए पूर्व के एक समझौते का आने वाले 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सम्बंध वर्ष 1995 से अस्तित्व में हैं, जब दोनों ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते का कार्यान्वयन दस्तावेज एक सहयोग कार्यक्रम है, जिसका नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्षों के बाद किया जाता है।

वर्ष 2014 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य के रूप में दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख स्थान

UNCTAD की विश्व निवेश पर रिपोर्ट-2015 के अनुसार वर्ष 2014 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में 22 प्रतिशत की वृद्धि से भारत लगभग 34 बिलियन डॉलर के निवेश से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 2 वर्षों से भारत 15वें स्थान पर था। दक्षिणी एशिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का प्रथम स्थान है और आने वाले वर्षों में भी इस प्रवाह के ऊपर बढ़ते रहने की सम्भावना है।

दक्षिणी एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह वर्ष 2014 में बढ़ कर 41 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और यह मुख्यत: भारत के अच्छे प्रदर्शन से हुआ है।

वर्ष 2014 में चीन 129 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त कर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। उसके पश्चात् हांगकांग (चीन) ने 103 बिलियन डॉलर और अमेरिका ने 92 बिलियन डॉलर प्राप्त किये हैं। 39 प्रतिशत के साथ हांगकांग ने उक्त वर्ष के दौरान प्रवाह में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। विश्व में शीर्ष 10 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में 5 विकासशील देश हैं– ब्राजील, चीन, हांगकांग (चीन), भारत और सिंगापुर।

दक्षिणी एशिया में 9.8 बिलियन डॉलर के बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत सबसे बड़ा निवेशक रहा हैं। यह संख्या वर्ष 2013 के आंकड़ों से 486 प्रतिशत अधिक है। फिर भी भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाह्य प्रवाह वाले पहले 20 देशों की सूची में नहीं आता है।

अमेरिका का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह (337 बिलियन डॉलर) सबसे अधिक रहा। उसके पश्चात हांगकांग (चीन) (142 बिलियन डॉलर) और चीन (116 बिलियन डॉलर) का स्थान रहा।

भारत एकमात्र BRIC (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) देश है, जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का आंकड़ा अभी पार नहीं किया है।

भारत द्वारा नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता

भूकम्प से तबाह नेपाल के वृहत पुनर्निर्माण सहायता कार्यक्रम के लिए

VISION IAS

भारत ने 1 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्री द्वारा नेपाल के पुनर्निर्माण हेतु धन एकत्रित करने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी। यह सहायता भारत की 5 वर्षों तक 1 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष की वर्तमान द्विपक्षीय विकासात्मक की सहायता के अतरिक्त है, जिसका 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा।

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015

- General Studies
- Geography
- Philosophy
- Essay
- Sociology
- Psychology
- Public Administration

All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion

Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015

For Civil Services Mains Examination 2015

Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE

- By renowned faculty and senior bureaucrats
- 25 Classes
- Regular Batch

Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY

Foundation/Advance Course @ JAIPUR Center

- Includes comprehensive & updated study material
- Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:

Starts : 7th Sep

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Rank-3
NIDHI GUPTA

Rank-4
VANDANA RAO

Rank-5
SUHARSHA BHAGAT

Heartiest congratulations !

40+ in top 100
400+ Selections
in CSE 2014

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

श्रीलंका में 19वां संविधान संशोधन पारित

श्रीलंका की संसद ने अपने संविधान में 19वां (19A) संवैधानिक संशोधन पारित किया है। वर्ष 1978 में जे. आर. जयवर्द्धने के प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के संविधान मे यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी सुधार है।

- इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य 18वें संशोधन को निरस्त करना (जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकतम शक्तियां दी गयी थी) और देश में लोकतंत्र को फिर से सुदृढ़ करना है।
- इस संशोधन से एक संवैधानिक परिषद् की स्थापना का प्रावधान हैं जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो इसके पहले कार्यकारी राष्ट्रपति के पास थी।
- 19वें संशोधन से 17वें संशोधन के कई घटकों को पुन:स्थापित किया गया है जिससे संवैधानिक परिषद्, प्रस्तावित स्वतंत्र आयोगों जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग आदि की स्थापना कर सकती है।

रूस को इस वर्ष 40 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त होंगी

रूस की सेना को अकेले इस वर्ष में 40 नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त होंगी, जिनमें सभी मिसाइलों में रक्षा प्रणाली को भेदने की क्षमता होगी। रूस ने देश में आर्थिक मंदी के बावजूद अपने हथियारों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को जारी रखने का दृष्टिकोण अपनाया है।

रूस ने नाटो पर आरोप लगाया है कि वह सीमाओं के आस-पास अतिक्रमण और सामरिक शक्ति संतुलन को अस्थिर कर शीत-युद्ध को फिर से शुरू करने के प्रयास में लगा हुआ है। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच सम्बन्ध निम्न स्तर पर पहुंच गया हैं। रूस द्वारा यह कहने पर कि अमेरिका द्वारा पूर्वी यूरोप में भारी सैन्य उपकरण तैनात करने के प्रतिउत्तर में वह अपनी नाभिकीय हथियारों में वृद्धि करेगा, इससे दोनों देशों के बीच संबंधो मे गिरावट आई है।

रूस और पश्चिमी देश एक-दूसरे पर वैश्विक सुरक्षा को संकट में डालने का परस्पर आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन को लेकर हाल ही की घटना से तनाव में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन कर स्वयं में मिला लिया था और रूस द्वारा समर्थित क्रीमियन विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया था।

रेशम मार्ग 2015

श्रीलंकाई सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन सेना द्वारा किए गए दूसरे संयुक्त अभ्यास को श्रीलंका में रेशम मार्ग वर्ष 2015 अभ्यास का नाम दिया गया था।

चीन और श्रीलंका की बढ़ती मित्रता को भारत में सतर्कता के साथ देखा जा रहा है क्योंकि इससे भारत के पड़ोस में, विशेषकर हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन का दखल बढ़ रहा है।

भारत समेत 50 देशों द्वारा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक समझौते पर हस्ताक्षर

भारत उन 50 देशों में से एक देश हैं, जिसने चीन के नेतृत्व में 100 बिलियन डॉलर के एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए.आई.आई.बी.) के कानूनी ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। 60 अनुच्छेद वाले इस अनुबंध में प्रत्येक सदस्य के अंश और शासन ढांचे तथा बैंक की नीतियों की प्रक्रिया का वर्णन है। बैंक को एशिया में अवसंरचना विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करने लिए परिकल्पित किया गया है। जहाँ कई पश्चिमी और यूरोपियाई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस इसमें सम्मलित हैं वहीं अमेरिका और जापान ने इससे दूर रहने का निर्णय किया है। उन्होंने इसकी पारदर्शिता पर अपना संदेह प्रकट किया है। ए.आई.आई.बी. को विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है।

ए.आई.आई.बी. संबंधी मुख्य तथ्य:

- ए.आई.आई.बी. की अधिकृत पूँजी 100 बिलियन डॉलर होगी और एशियाई देश कुल पूँजी के 75 प्रतिशत का योगदान करेंगे। समझौते के अनुसार, प्रत्येक देश को उसके शेयर (अंश) का कोटा उसके आर्थिक आकार के आधार पर दिया जायेगा।

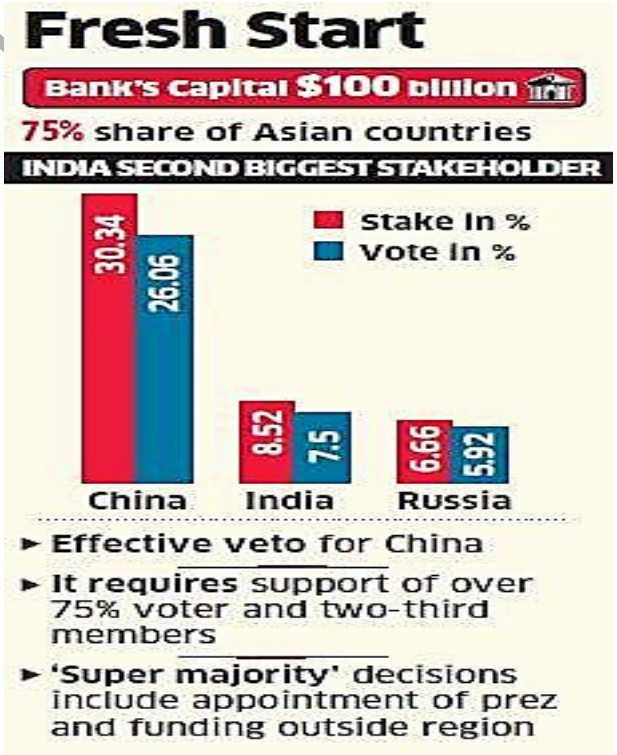

- चीन (30.34%), भारत (8.52%) और रूस (6.66%) तीन सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इनके मत का प्रतिशत है: चीन

26.06%, भारत 7.5% और रूस 5.92% यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 26.06% के मतदान के अधिकार के साथ से चीन को इस बहुपक्षीय संस्था में कई मुख्य निर्णयों में वस्तुत: वीटो का अधिकार प्राप्त है, भले ही वह इस बात पर जोर डाल रहा है कि वह इस प्रकार की शक्ति का कभी उपयोग नहीं करेगा।

- बैंक का मुख्यालय बीजिंग में होगा।

यू.पी.एस.सी. मेन्स 2014

भारत ने हाल ही में एक नए विकास बैंक (NDB) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिका किस प्रकार से भिन्न होगी? भारत के लिए इन दोनों बैंको के महत्व पर चर्चा करें।

अन्य ख़बरें

के.वी. चौधरी नए मुख्य सतर्कता आयुक्त और विजय शर्मा नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगें

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री के. वी. चौधरी को मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है जबकि वरिष्ठतम सूचना आयुक्त श्री विजय शर्मा को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें

	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	केन्द्रीय सूचना आयोग
सरंचना	मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा दो सतर्कता आयुक्त।	मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त।
कार्यकाल	4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।	5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
नियुक्ति प्रक्रिया	प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और गृहमंत्री वाले पैनल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।	प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री वाले पैनल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।
हटाए जाने की प्रक्रिया	राष्ट्रपति द्वारा उच्च-तम न्यायालय की जाँच के बाद।	राष्ट्रपति द्वारा उच्च-तम न्यायालय की जाँच के बाद।
रिपोर्ट	गृह मंत्रालय	केंद्र सरकार
दंड देने की शक्ति	नहीं	हाँ
क्या अध्यक्ष की पुन: नियुक्ति की जा सकती है?	नही	नही

ललित मोदी को इंटरपोल का ब्लू कार्नर नोटिस

आई.पी.एल. के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को 'इंटरपोल का ब्लू कार्नर' नोटिस जारी किया गया है।

इंटरपोल के नोटिस

- ये नोटिस सहयोग हेतु किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध या ऐसी चेतावनी होते हैं जो सदस्य देशों की पुलिस को अपराध संबंधी महत्वपूर्ण सूचना साझा करने की अनुमति देते हैं। इन्हें राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरों (एन.सी.बी.) तथा अन्य प्राधिकृत संस्थाओं के अनुरोध पर इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- भारत में इंटरपोल द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों को निष्पादित और सँभालने के लिए सी.बी.आई. नोडल संस्था है। इसके लिए प्रत्येक राज्य की पुलिस में भी संपर्क अधिकारी होते हैं।
- ये 8 प्रकार के होते हैं इनके द्वारा सभी सदस्य देशों में कथित अपराधियों/अभियुक्तों का अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों या हवाईअड्डों से आवामगन प्रतिबंधित करने के लिए पारस्परिक सहयोग का निवेदन किया जाता है। किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता की गंभीरता के अनुसार घटते क्रम में ये नोटिस इस प्रकार हैं- रेड, ब्ल्यू, ग्रीन, ब्लैक, यलो (चुराई हुई संपति के लिए नोटिस), पर्पल, ऑरेंज नोटिस तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इंटरपोल विशेष नोटिस।

ललित मोदी के विरुद्ध जारी किया गया 'ब्लू कार्नर' नोटिस कितना गंभीर है?

- यह एक 'जांच नोटिस' है जो सामान्यत: किसी की पहचान को सत्यापित करने के लिए या ऐसे लापता व्यक्ति को ढूँढने के लिए जारी किया जाता है जो घोषित या अघोषित अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो या जिसे सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाना हो तथा जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।
- इसे प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर जारी किया गया है जो पूर्व आई.पी.एल. अध्यक्ष ललित मोदी के खिलाफ एक मामले की जाँच-पड़ताल कर रहा है।

इस ब्लू कार्नर नोटिस के अतिरिक्त अन्य रंगों के नोटिसों के क्या अर्थ हैं -

- रेड कार्नर या ' 'ए सीरीज" नोटिस का अर्थ है 'वांटेड नोटिस'- जिसे उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जिन्हें गिरफ्तार करके उस देश को प्रत्यर्पित किया जा सकता है जहां वे वांटेड (वांछित) हैं।
- ग्रीन कार्नर या ' 'सी सीरीज नोटिस' ' का अर्थ "चेतावनी नोटिस" है जिसका प्रयोग कानून सम्बन्धी संस्थाओं को ऐसे लोगों के बारे सचेत करने के लिए किया जाता है जो अन्य देशों को प्रभावित करने वाले अपराध या तो कर चुके हैं या कर सकते हैं, और जो उनके देश में उपस्थित हो सकते हैं।
- ब्लैक कार्नर या ' 'डी सीरीज नोटिस' ' ऐसी अज्ञात लाशों या मृत व्यक्तियों के बारे में सूचना प्रसारित करता है जिनकी पहचान न हुई हो या जिन पर फर्जी पहचान प्रयोग करने का संदेह हो।
- येलो नोटिस: किसी खोये हुए या अपनी पहचान बताने में असमर्थ व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए दिया जाता है।
- पर्पल नोटिस या मोडस ओपेरैंडी (एम.ओ.) शीट्स - यह कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाओं को अपराध के तरीकों, प्रक्रियाओं और छुपने के स्थानों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- ऑरेंज नोटिस : यह व्यक्तियों तथा सम्पत्ति हेतु किसी व्यापक

VISION IAS

खतरे के रूप में नजर आने वाली घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया आदि के बारे में सचेत करने के लिए दिया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् इंटरपोल विशेष नोटिस, अलकायदा तथा तालिबान के खिलाफ लगाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों के अनुसार लक्षित लोगों हेतु जारी किया जाता है।

मौसम की चेतावनी सूचना सेवा 'नाउ कास्ट'

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने निशुल्क एस.एम.एस. सेवा 'नाउ कास्ट' का शुभारम्भ किया है। इस सेवा से चरम मौसम स्थितियों जैसे कि मेघगर्जन, ओलावर्षण आदि की सूचना हर तीन घंटे में लगभग एक करोड़ से अधिक किसानों को दी जा सकेगी। इसके लिए किसानो को उनका मोबाइल नंबर सरकार के एम-किसान पोर्टल में पहले से पंजीकृत करवाना पड़ेगा।
- यह पोर्टल अन्य जानकारियों के साथ-साथ वर्तमान बीमा उत्पादों तथा प्रीमियम दरों आदि की सूचना भी देगा। अभी तक किसान अपनी फसल का बीमा 3 योजनाओं के तहत कर सकते हैं – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.), संशोधित राष्ट्रीय बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)। हालांकि, वर्ष 2014-15 के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि संपूर्ण बुवाई क्षेत्र में से केवल 20% भू-भाग का बीमा हुआ था। बीमा के ऐसे निम्न प्रसार के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के बीच बीमा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी का अभाव तथा कभी-कभी इनका अत्यधिक महंगा होना भी हो सकता है।

भुवन गंगा मोबाइल एप तथा वेब पोर्टल

- केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने भुवन गंगा मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब पोर्टल लांच किया। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद लांच किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम 'स्वच्छ गंगा अभियान' को प्रभावी तरीके से नियोजित और निरीक्षित करना है। यह मोबाइल एप्प गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी करने हेतु क्राउड सोर्सिंग का प्लेटफार्म प्रदान करेगा तथा नीति-निर्माताओं को इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करेगा।
- इसका प्रयोग स्वच्छ गंगा अभियान हेतु निर्णय लेने और योजना बनाने में सहायक साधन के रूप में किया जाएगा।

चीन द्वारा पहला इलेक्ट्रिक प्लेन (बी.एक्स.1ई.) विकसित किया गया

विशेषताएं

- 14.5-मीटर पंखों का घेरा और अधिकतम भार क्षमता -230 किलोग्राम।
- 3,000 मीटर की उंचाई तक उड़ सकता है।
- अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा।
- प्रयोग: पायलट प्रशिक्षण, पर्यटन, मौसम विज्ञान तथा बचाव कार्यों में।

कैलाश-मानसरोवर के लिए दूसरा मार्ग

- भारत और चीन के बीच विश्वास-बहाली के एक नवीनतम उपाय के अंतर्गत कठिनाइयों से भरी कैलाश-मानसरोवर यात्रा संपन्न करने वाले तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे के लिए चीन ने नाथूला दर्रे से होकर तिब्बत जाने के लिए एक दूसरे मार्ग को भी खोल दिया है।
- यह नया मार्ग पहले से उपलब्ध एकमात्र मार्ग लिपुलेख दर्रे के अतिरिक्त है। यह वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। नाथुला दर्रे वाला नया मार्ग भारतीय तीर्थ यात्रियों, विशेषकर वृद्ध भारतीय नागरिकों हेतु बसों द्वारा सुविधाजनक यात्रा को सरल बनाएगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS